विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
निदेशक मण्डल	3
सूचना	4
निदेशकों का प्रतिवेदन	5-15
वित्तीय कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विवरण	16
लेखा परीक्षकों के मंतव्यों पर प्रबंधन का जवाब	17-18
कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर प्रतिवेदन	19-23
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	24
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	25
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	26-29
तुलन पत्र	30
लाभ और हानि लेखा	31
अनुसूचियाँ	32-48
नकद प्रवाह विवरण	49
तुलन पत्र सार एवं कंपनी की सामान्य कारोबार की रूपरेखा	50
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में विवरण	51

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निदेशक मंडल	श्री सैबाल बॉल	(01.11.2010 से)
	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	
	श्री शशांक गोयल	(04.05.2011 से)
	श्री वी. सेधुमाधवन	(26.08.2011 से)
	श्री अंबुज शर्मा	(04.05.2011 तक)
	श्री रामास्वामी अशोकन	(26.08.2011 तक)
	श्री स्वप्न कुमार दास	(31.08.2011 तक)
	निदेशक (वित्त)	
	श्री नीरज मिश्रा	
	निदेशक (तकनीकी)	
कंपनी सचिव	श्री एस.एन. मुखर्जी	
लेखा परीक्षकगण	मेसर्स डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी	
	सनदी लेखाकार	
पंजीकृत कार्यालय	26, राजा संतोष रोड	
	अलीपुर, कोलकाता - 700 027	
बैंकर्स	केनरा बैंक	
	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	
	इण्डियन ओवरसीज बैंक	
	भारतीय स्टेट बैंक	
	एक्सिस बैंक लिमिटेड	
सहायक कंपनियाँ	दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का 25वाँ वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी की पंजीकृत कार्यालय 26, राजा संतोष रोड, कोलकाता - 700 027 में शुक्रवार, दिनांक 23 सितंबर, 2011 को दोपहर 12.00 बजे निम्नलिखित कार्यों के संपादन करने के लिए होगी -

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त लेखा परीक्षित लाभ और हानि लेखा तथा उसी तारीख की तुलन-पत्र तथा साथ ही उस पर निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के अधीन यथापेक्षित भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ग्रहण करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकार करना

2. लाभांश की घोषणा करना।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गए वर्ष 2011-12 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कोलकाता,
दिनांकः 19 सितंबर, 2011

एस. एन. मुखर्जी
कंपनी सचिव

द्रष्टव्यः 1. बैठक में उपस्थित रहने और मतदान करने के हकदार एक सदस्य अपने बदले में उपस्थित रहने और चुनाव में मतदान करने के लिए एक प्रतिपुरुष की नियुक्ति कर सकते हैं। प्रतिपुरुष को कंपनी का सदस्य रहना आवश्यक नहीं है।

2. प्रतिपुरुष का दस्तावेज प्रभावी होने के लिए बैठक के समय से अड़तालीस घंटे पूर्व से कम नहीं हो, कंपनी की पंजीकृत कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाये।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 171 के अधीन सभी सदस्यों से अपेक्षित सहमति की प्राप्ति के अनुसरण में अल्प सूचना द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारकगण
भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

1.0 निदेशकों को कंपनी का 25वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा के साथ लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और उस पर नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1.01 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास केवल एक ही सहायक कंपनी यथा दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) रही है।

वित प्रतिवेदन में जैसा बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना उपायों के अंश के रूप में बीसीएल एवं बीएससीएल (सेलम के रिफ्रैक्टरी इकाई को छोड़कर) के प्रशासनिक नियंत्रण को क्रमशः 06 अगस्त एवं 15 सितम्बर 2010 से प्रभावी रेल मंत्रालय (रे मं) को हस्तांतरित कर दिया गया है। सेलम की रिफ्रैक्टरी इकाई का प्रशासनिक नियंत्रण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. को हस्तांतरित कर दिया गया है। तत्पश्चात् कंपनी ने बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि. (बीएससीएल) एवं ब्रेथवेट एण्ड कं. लि. (बीसीएल) में धारित अपने शेयरों को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है।

1.02 पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित, जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड में 72 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के विनिवेश को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस संबंध में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड एवं अन्य द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका (2003 की सं. 1509) माननीय न्यायालय में फैसला हेतु लंबित है।

2.0 वित्तीय एवं परिचालन परिणाम

2.01 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की अकेले अस्तित्व तौर पर विगत वर्ष के 5.33 करोड़ रु. से बढ़कर 13.43 करोड़ रु. सकल आय हुई। भाभाउनिलि समूह कंपनियों जिसमें कंपनी (भा.भा.उ.नि.लि.) एवं सहायक कंपनी, बी.बी.जे है की वर्ष के दौरान 160.74 करोड़ रु. सकल आय की प्रभावशाली वृद्धि करते हुए चमकप्रद कार्य निष्पादन की है जो विगत वर्ष के 89.54 करोड़ रुपये पर 80 प्रतिशत ज्यादा वृद्धि दर्ज की है।

2.02 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अकेले अस्तित्व तौर पर कर पश्चात् 0.02 करोड़ रु. आय अर्जित की। जबकि बीबीजे ने कर पश्चात् 3.60 करोड़ रु. लाभ अर्जित की है।

2.03 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 0.04 करोड़ रु. नकद लाभ अर्जित की थी एवं भाभाउनिलि समूह द्वारां उसी पटल पर विगत वर्ष के 4.35 करोड़ के विरुद्ध वर्ष के दौरान 5.16 करोड़ रु. की नकद लाभ (भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के प्रावधान के पूर्व) दर्ज की है। वर्ष के दौरान नकद लाभ में करीब 19 प्रतिशत वृद्धि हासिल की है।

2.04 कंपनी की इस वर्ष प्रचालन लाभ (पीबीडीआईटी) यानी पूर्वावधि, असामान्य मदें, मूल्य ह्रास, ब्याज एवं कर 0.03 करोड़ रु. था। भाभाउनिलि समूह ने विगत वर्ष की 6.46 करोड़ रु. के विरुद्ध वर्ष के दौरान 7.56 करोड़ रु. की पीबीडीआईटी के जरिए प्रभावशाली कार्यनिष्पादन हासिल कर 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

2.05 भाभाउनिलि समूह ने वर्ष के दौरान 3.62 करोड़ रु. की लाभ (कर पश्चात्) अर्जित की है (विगत वर्ष 3.17 करोड़ रु.) सहायक कंपनीवार लाभ (कर पश्चात्) नकद लाभ (सरकारी ऋण पर बगैर ब्याज का प्रावधान), प्रचालन लाभ - पीबीडीआईटी एवं सरकारी ऋण पर ब्याज की स्थिति का सारांश नीचे दी गई है -

(करोड़ रु. में)

सहायक कंपनी	2010-11				2009-10			
	प्रचालन लाभ/ (हानि) - पीबीडीआईटी	**भारत सरकार के ऋणों पर बगैर ब्याज नकद लाभ/(हानि)**	**कर पश्चात् नकद लाभ/ (हानि)- पीएटी**	**सरकारी ऋणों पर ब्याज**	प्रचालन लाभ/ (हानि)- पीबीडीआईटी	भारत सरकार के ऋणों पर बगैर ब्याज नकद लाभ/(हानि)	कर पश्चात् नकद लाभ/ (हानि)- पीएटी	सरकारी ऋणों पर ब्याज
बीबीजे	**7.53**	**5.12**	**3.60**	**0.44**	5.89	3.91	2.76	0.43
भाभाउनिलि	**0.03**	**0.04**	**0.02**	**-**	0.57	0.44	0.41	-
समूह कुल	**7.56**	**5.16**	**3.62**	**0.44**	6.46	4.35	3.17	0.43

2.06 भाभाउनिलि समूह कंपनियों की वित्तीय वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 के लिए सकल एवं बिल योग्य उत्पादन, सकल आउटटर्न, प्रचालन लाभ - (पीबीडीआईटी), नकद लाभ एवं शुद्ध लाभ दिखाते हुए वित्तीय कार्यनिष्पादन का तुलनात्मक विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

भाभाउनिलि समूह के प्रचालन लाभ -

(मूल्यह्रास, ब्याज, कर पूर्व लाभ) का रुझान

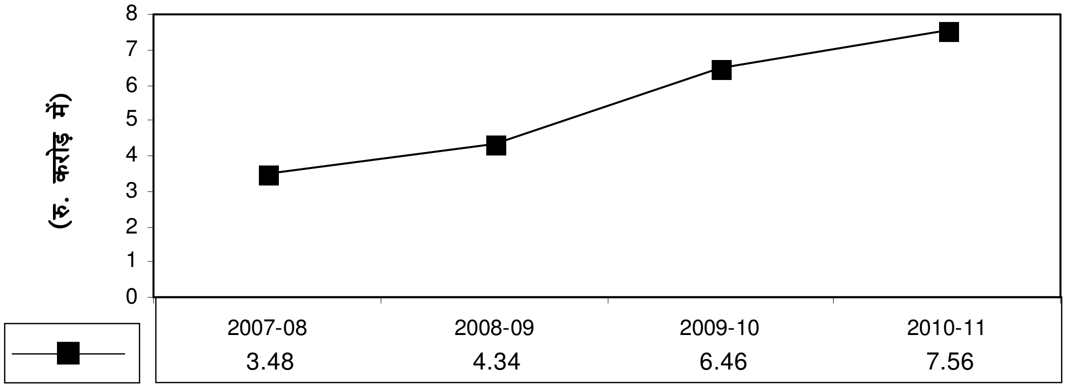

3.0 लाभांश

अपर्याप्त लाभ के देखते हुए निदेशकगण प्रतिवेदनाधीन वर्ष के लिए लाभांश की अनुशंसा नही किये हैं।

4.0 पूंजी

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 348.10 करोड़ पर अपरिवर्तित रही। 31.3.2011 को स्थित निर्गत एवं अभिदत्त शेयर पूंजी 1,000 रु. प्रत्येक की पूर्णतः चुकता 10,37,305 इक्विटी शेयरों को लेकर 103.73 करोड़ रु. थी।

5.0 प्रचालन

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, भाभाउनिलि समूह कंपनियों ने विगत वर्ष की 86.01 करोड़ रु. के विरुद्ध 84 प्रतिशत की प्रभावशाली शीर्ष-पंक्ति वृद्धि दर्ज करते हुए 157.97 करोड़ रुपये की सकल उत्पादन हासिल की है। भाभाउनिलि समूह द्वारा 2007-08 से सकल उत्पादन की प्रगति दर्ज करने का रूझान नीचे दिखाया गया है -

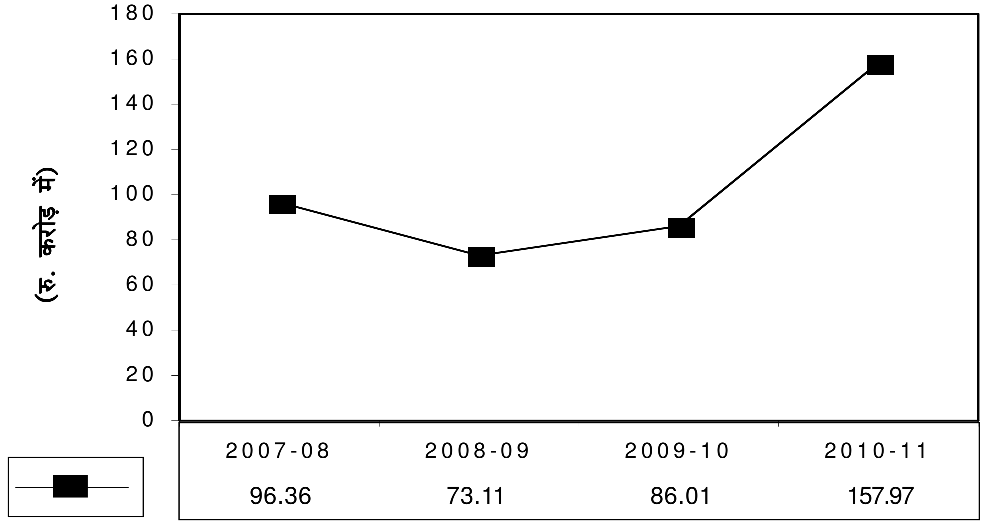

बीबीजे एवं भाभाउनिलि के संबंधित वर्षों में उत्पादन मूल्य में सकल उत्पादन शामिल है

2010-11 बनाम 2009-10 में सहायक कंपनीवार उत्पादन

(रु. करोड़ में)

	भाभाउनिलि	बीबीजे
2009-10	3.45	82.56
2010-11	11.46	146.51

उपर्युक्त कंपनीवार चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण यह उद्घाटित करता है कि समूह की दोनों कंपनियों ने विगत वर्ष 2009-10 के मुकाबले 2010-11 में कार्यनिष्पादन में सुधार की है।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यनिष्पादन की विशिष्टताएँ

- बीबीजे ने विगत वर्ष के मुकाबले प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को अत्युत्तम रूप से पार की है एवं प्रमुख वित्तीय एवं भौतिक पैरामिटरों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।
- बीबीजे ने मार्च 2011 में बीआरपीएसई से 'टर्न अराउंड सीपीएसई पुरस्कार' प्राप्त की है।
- भाभाउनिलि समूह ने समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को अत्युत्तम रूप से पार की है एवं विगत वर्ष से प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सभी प्रमुख वित्तीय एवं भौतिक पैरामिटरों में प्रगति भी रिकार्ड की है।
- भाभाउनिलि ने 2009-10 के दौरान 2.50 करोड़ रु. के विरुद्ध 2010-11 के दौरान 10.54 करोड़ रु. की विक्रय कारोबार दर्ज की है इस प्रकार वर्ष के दौरान 321 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की।

वर्ष 2010-11 के दौरान अन्य प्रमुख घटनाएँ

- कंपनी द्वारा एकल अस्तित्व तौर पर सिविल विनिर्माण परियोजनाओं का निष्पादन विभिन्न साइटों पर प्रगतिधीन हैं जो अगरतला में ट्रक टर्मिनस-चरण-।।, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पूसा परियोजना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, पटना एवं सबौर में परियोजनाएं, त्रिपुरा में आरसीसी पुल, एलॉय स्टील प्लांट, दूर्गापुर में स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन/क्लेडिंग कार्य है।
- भारी उद्योग विभाग (भाउवा) के दिनांक 06.08.2010 के संदर्भ सं. 8(12)/2009-पीई-।।। एवं दिनांक 15.09.2010 के सं. 8(12)/2009-पीई-।।। के जरिए प्रेषित भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में बीसीएल एवं बीएससीएल (सेलम की रिफ्रैक्टरी इकाई को छोड़कर) का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। भाउवि के दिनांक 15.09.2010 के पत्र सं. 8(12)/2009-पीई-।।। के जरिए सभी परिसंपत्तियों, दायिताएँ, अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ सेलम की रिफ्रैक्टरी इकाई का प्रशासनिक नियंत्रण भी इस्पात मंत्रालय के अधीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. को हस्तांरित कर दिया गया है। भाभाउनिलि द्वारा धारित बीसीएल एवं बीएससीएल की इक्विटी शेयरों को रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अतएवं, बीएससीएल एवं बीसीएल सहायक कंपनी नहीं रहीं।
- भाउवि दिनांक 06.08.2010 के पत्र संदर्भ सं. 8(12)/2009-पीई-।।। के जरिए प्रेषित भारत सरकार का अनुमोदन जो भाभाउनिलि एवं बीबीजे के विलयन का है एवं भाउवि को नैगम कार्य मंत्रालय से परामर्श कर विलयन के लिए प्रचालन कदम तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। भाउवि दिनांक 17.02.2011 के पत्र सं. 8(12)/2010-पीई-।।। के जरिए बीबीजे के साथ भाभाउनिलि के विलयन के लिए उठाये जाने वाले कदम एवं विलयन के उपरांत 'दि ब्रेथवेट बर्न एवं जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' नाम रखने का अनुमोदन भेजा है। यह विलयन प्रक्रियाधीन है।

6.0 समझौता ज्ञापन

कंपनी, नियंत्रक कंपनी के तौर पर लोक उद्यम विभाग ('लो.उ.वि.'), स.ज्ञा. प्रभाग, भारत सरकार द्वारा विहीत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के मुताबिक भारत भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक विभाग रहने से) के साथ वर्ष 20010-11 के लिए समझौता ज्ञापन स्वारक्षित की है।

कंपनी अपने साथ-साथ अपनी सभी प्रचालन करनेवाली सहायक कंपनियों यथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के साथ भी समझौता ज्ञापन स्वाक्षरित की है। यद्यपि, बीएससीएल एवं बीसीएल वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान सहायक कंपनी नहीं रही।

वित्तीय एवं गैर-वित्तीय पैरामिटरों पर आधारित 2009-10 के 'बहुत अच्छा' स्तर की तुलना में 2010-11 के दौरान मिश्रित अंक 'अच्छा' स्तर आया है। तथापि, सहायक कंपनी बीबीजे ने 'उत्कृष्ट' स्तर हासिल की।

7.0 2011-12 के समग्रदृष्टि

सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक एवं लोउवि में एवं सं.ज्ञा./2010-11 को अंतिम रूप देने हेतु अधिकार प्रदत्त सिंडिकेट के टॉस्क फोर्स सदस्यों से विचार-विमर्श के उपरांत तीनों सहायक कंपनियों के नियंत्रक कंपनी के रूप में भाउवि से स.ज्ञा. स्वाक्षरित किया है।

वर्ष 2011-12 के लिए स.ज्ञा. के 'बहुत अच्छा' स्तर लक्ष्य को विचार करते हुए भाभाउनिलि समूह 7.71 करोड़ रु. एवं 6.25 करोड़ रु. क्रमशः प्रचालन लाभ (पीबीडीआईटी) एवं नकद लाभ (भारत सरकार के ऋण पर ब्याज पूर्व) के साथ 187.84 करोड़ रु. उत्पादन करने की आशा है। समूह की प्रोजेक्टेड शुद्ध लाभ (पीएटी) 3.19 करोड़ रु. है।

2011-12 के लिए स.ज्ञा. (बहुत अच्छा) का कंपनीवार व्यौरा निम्न है:

(करोड़ रु.)

विवरण	**बीबीजे**	**भाभाउनिलि खास**	**कुल**
उत्पादन (सकल मूल्य)	**168.00**	**19.84**	**187.84**
सकल आउटटर्न	169.50	20.95	190.45
पूर्वावधि, प्रावधान आदि के पूर्व प्रचालन लाभ - पीबीडीआईटी	**7.51**	**0.20**	**7.71**
असामान्य मदें (असाम)	0.60	-	0.60
बैंक एवं अन्यान्य ब्याज	0.86	-	0.86
नकद लाभ (भा.स. के ऋण पर ब्याज पूर्व)	**6.05**	**0.20**	**6.25**
भ.स. के ऋण पर ब्याज	0.87	-	0.87
मूल्यह्रास	1.35	0.03	1.38
शुद्ध लाभ (कर पूर्व) - **कपूला**	**3.83**	**0.17**	**4.00**
कर	0.76	0.05	0.81
लाभांश	0.12	0.03	0.15
शुद्ध लाभ	**2.95**	**0.09**	**3.04**

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

8.0 विविधीकरण, अनुसंधान एवं विकास

8.01 **विविधीकरणः** कंपनी के साथ इसकी सहायक कंपनी बीबीजे अपनी कोर क्षेत्रों में संभावनाएँ तलाशना जारी रखी हुई हैं। भाभाउनिलि समूह कंपनियाँ उत्पादन के दूसरे संबंधित क्षेत्रों में निम्नरूप से विविधीकरण का प्रयत्न कर रही है-

भाभाउनिलिः एजेंसी कार्य और सिविल विनिर्माण कार्य निष्पादन, परामर्शी कार्य, क्रेन व्यवसाय के लिए सहयोगी परियोजनाएँ, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, आदि।

बीबीजेः मेट्रो रेल सिस्टम, भवन निर्माण, जलनिकासी एवं मलप्रणाली।

8.02 **अनुसंधान एव विकास (आर एंड डी)ः**

भाभाउनिलि समूह बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में नेतृत्व बनाये रखने के लिए अ. एवं वि. के महत्व की पहचान की है। अ. एवं वि. के प्रयास उन प्रक्रियाओं के विकास पर केंद्रित कर जारी रखी गई है जो अपने ग्राहकों के लिए तात्पर्य रखती हों। बीबीजे ने नयी स्टील ब्रिजों के लिए नये लाचिंग योजनाएं विकसित की है एवं इसे जारी रखी है। बीबीजे विशेष ब्लॉक अवधि के अंदर पुरानी पुलों को नयी पुलों में बदलने के कार्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक संसाधनों के विकास की योजना भी बना रही है।

9.0 पुनर्संरचना प्रस्तावः

9.01 भारत सरकार द्वारा जुलाई 2005 में पुनर्संरचित होने के बाद से बीबीजे सुसंगत रूप से शुद्ध लाभ एवं धनात्मक शुद्ध मूल्य परिणाम हासिल करते आ रही है। इसने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अपनी संचित हानियों को भी मिटा दिया है एवं 2010-11 में 5.20 करोड़ रु. की संचयी लाभ प्रतिवेदित की है।

9.02 भा.उ.वि., दिनांक 06.08.2010 के पत्र सं. 8(12)/2009-पीई-।।। के जरिए भाभाउनिलि एवं बीबीजे के विलयन संबंधी भारत सरकार का अनुमोदन प्रेषित की है एवं भाउवि को नैगम कार्य मंत्रालय से परामर्श कर विलयन के लिए प्रचालन कार्य तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। भाउनि दिनांक 17.02.2011 के पत्र सं. 8(12)/2010-पीई-।।। के जरिए बीबीजे के साथ भाभाउनिलि के विलयन के उपरांत 'दि ब्रेथवेट बर्न एवं जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' नाम रखने का अनुमोदन दिया है। विलयन प्रक्रिया जारी है।

9.03 जैसा पहले बताया गया है कि बीएससीएल एवं बीसीएल के शेयरों का रेल मंत्रालय को हस्तांतरित हो जाने के फलस्वरूप कंपनी की निर्गत एवं अभिदत्त शेयर पूंजी घट गयी है।

10.0 औ.वि.पु.प. को हवाला -

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण परिषद (बीआईएफआर) के दायरे के अधीन न तो कंपनी है और न ही सहायक कंपनी यथा बीबीजे है।

11.0 विपणन एवं आदेश पुस्तिका -

11.01 01.04.2011 को स्थित भाभाउनिलि समूह यथा भाभाउनिलि एवं बीकीने कंपनियों के पास 837.23 करोड़ रु. (सकल मूल्य) के आदेश हस्तगत थे।

11.02 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान भाभाउनिलि समूह ने 36.30 करोड़ रु. (सकल मूल्य) का नया आदेश प्राप्त किया है।

11.03 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भाभाउनिलि समूह द्वारा मुख्य उत्पाद श्रेणियों में नयी बुकिंग/निष्पादित आर्डर का सारांश निम्न है -

(करोड़ रु. में)

विवरण	2010-11 के दौरान आर्डर प्राप्त (सकल मूल्य)	01.04.2011 को स्थित हस्तगत आदेश (सकल मूल्य)	सम्मिलित कंपनियाँ
मुख्य उत्पादों			
पुल परियोजनाएँ	26.26	720.09	बीबीजे
सिविल परियोजनाएँ	-	36.42	बीबीजे
सिविल विनिर्माण कार्य	7.45	75.49	भाभाउनिलि
स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन - एएसपी	1.59	0.77	भाभाउनिलि
क्रेन्स (स्पेयर्स एवं सेवाएँ)	1.00	1.00	भाभाउनिलि
निर्यात			
टैंक वैगन (आइवरी कोस्ट)	-	0.84	भाभाउनिलि
बीसीडी इनगैब कंसोरटियम - गेबन	-	2.62	भाभाउनिलि
कुल	**36.30**	**837.23**	

12.0 निर्यात

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने एकल तौर पर 0.11 करोड़ रु. के निर्यात विक्रय हासिल की है। फिर भी वित्तीय वर्ष 2010-11 में कोई निर्यात आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

13.0 सतर्कता क्रियाकलाप -

कंपनी की सतर्कता विभाग ने प्रभावी ढंग से क्रियाकलाप जारी रखी है। पद्धतियों एवं कार्यविधि के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किया गया। समय-समय पर सभी सहायक कंपनियों के सतर्कता अधिकारियों की ओर से औचक जांच की गई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को लेते हुए अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए कदम उठाये गये।

विगत वर्षों के जैसे ही समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' आयोजित की गयी, जहां अनुभवी वक्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार एवं इससे सामना करने के निवारक उपायों पर जानकारी एवं सुविज्ञता का आदान प्रदान किया गया।

14.0 सरकार द्वारा निधि का निर्मोचन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने कंपनी और/अथवा बीबीजे को योजना ऋण, गैर योजना ऋण और योजना इक्विटी की ओर कोई भी कोष का निर्मोचन नहीं की है।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

15.0 जनशक्ति -

15.01 दो प्रमुख सहायक कंपनियाँ यथा बीएससीएल एवं बीसीएल को रेल मंत्रालय में हस्तांतरित हो जाने के फलस्वरूप 31 मार्च, 2011 को समूह की जनशक्ति व्यापक रूप से घटकर समष्टि रूप से 126 नियमित कर्मचारियों तक ठहर गयी।

15.02 अ.जा./अ.ज.जा./महिलाओं के नियोजन - अ.जा./अ.ज.जा./महिलाओं के नियोजन के मामले में भारत सरकार की नीतियों एवं अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

15.03 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान मानव संसाधन में संगठनात्मक लक्ष्यों साथ ही समूह की प्रगति की ओर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आकर्षित करने, बनाये रखने, प्रेरित करने एवं प्रबंधकीय एवं तकनीकी प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न जारी रही है। समूह ने लोगों की अधिकतम अन्तः शक्ति को काम में लगाने के लिए कार्यनिष्पादन एवं अंशदान की संस्कृति विकसित करने, विश्वसनीयता बनाये रखने एवं तथा आपसी लाभकारी संबंधों को बनाने में प्रयत्न की है। लगातार जारी रहनेवाली क्रियाकलापों के रूप में दक्षता विकास के लिए अन्तःगृह एवं बाहरी संस्थानों के कार्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न प्रबंध विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ दक्षता विकास कार्यक्रम आयोजित की गयी।

16.0 औद्योगिक संबंध -

वर्ष के दौरान बीबीयूएनएल समूह में औद्योगिक संबंध की स्थिति सौहादपूर्ण रही है।

17.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) -

भाभाउनिलि समूह की कंपनियां एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सीएसआर के अंग के रूप में सरकारी मार्गगर्शन से अनुपालन हेतु सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु उपाय निकालने एवं कार्यान्वयन योजनाएं बनाना जारी रखी हैं। समूह अपनी प्रचालन स्थान पर पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थिति की सुधार पर बल दे रही है। समूह की सीएसआर क्रियाकलापों में स्वास्थ्य, स्वच्छता-प्रबंध एवं सामुदायिक विकास, विद्यालय भवन, चिकित्सा शिविर, गरीब विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता देना आदि शामिल है। समूह अपनी सीएसआर कार्यकलापों को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

18.0 राजभाषा कार्यान्वयन -

कंपनी ने राजभाषा कार्यान्वयन पर भारत सरकार की नीति का अनुसरण की है। वर्ष के दौरान प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गयीं। कर्मचारियों को बारी-बारी से हिन्दी प्रशिक्षण भी दिया गय। कर्मचारियों को बारी-बारी से हिन्दी प्रशिक्षण भी दिया गया। कंपनी में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने केलिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

19.0 सहायक कंपनियाँ -

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बीबीजे (सहायक कंपनी) की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, निदेशकों का प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की प्रतियां संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(सी) के अनुसरण में विवरण भी संलग्न किया जाता है।

20.0 कर्मचारियों का विवरण -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) एवं उसके तहत संदर्भित नियमों की सीमा से अधिक पारिश्रमिक पानेवाला कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं था।

21.0 कारपोरेट गवर्नेन्स पर प्रतिवेदन -

निदेशकगण लो उ वि के मार्गदर्शन के पालन हेतु अच्छे कारपोरेट गवर्नेन्स प्रथा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखने की पुनर्पुष्टि करते हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गयी 'केन्द्रीय लोक उद्यमों' के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देशों में यथापेक्षित कार्पोरेट गवर्नेन्स पर एक प्रतिवेदन संलग्न किया जाता है एवं यह इस रिपोर्ट का अंश है।

22.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण -

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में एवं कंपनी के कार्यपालकों द्वारा दी गई स्पष्टीकरण एवं जानकारी के आधार पर एवं वार्षिक लेखा में प्रकटीकरण के साथ एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों से विमर्श के आधार पर निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि -

i) वार्षिक लेखे तैयार करने में वस्तुपरक विचलनों से, यदि हो तो, संबंधित व्याख्या के साथ प्रयोज्य लेखांकन मानदंडों का अनुसरण किया है;

ii) चयन किये गए ऐसी लेखांकन नीतियों को नियमित रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं एवं आकलन किये हैं, जो यथोचित एवं विवेकपूर्ण हैं तथा जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी का तथा उस अवधि के लिए लाभ का सत्य और सही स्वरूप प्रकट करने में सक्षम है;

iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित और यथेष्ट सावधानी बरती है, और

iv) वार्षिक लेखा चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया गया है।

23.0 ऊर्जा संरक्षण एवं तकनीकी समावेशन

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी मुख्यतः सेवा आधारित क्रियाकलापों की है एवं इसके द्वारा महत्वपूर्ण ऊर्जा उपभोग नहीं की गयी। इसलिए ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा उपभोग में कमी के लिए निवेश हेतु कोई उपाय आवश्यक नहीं समझा गया है।

तथापि, भाभाउनिलि समूह पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर कम प्रभावोत्पादक ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणों के उपयोग पर सुसंगत रूप से बल प्रदान करती रही है।

उपर्युक्त के मद्देनजर तकनीकी समावेशन के बारे में कोई प्रकटीकरण नहीं की गयी है।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

24.0 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निर्यात बिक्री/सेवाओं से विदेशी मुद्रा में हुए आय 11.25 लाख रु. था जबकि विदेशी मुद्रा में बहिर्गमन शून्य था।

25.0 लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में श्री आर. अशोकन (अध्यक्ष), श्री एस बॉल एवं श्री एस.के. ऋषि थे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान श्री बॉल एवं श्री ऋषि 'पदेन निदेशक' नहीं रहे। निदेशक मंडल में कोई 'स्वतंत्र निदेशक' के न रहने पर लो.उ.वि. द्वारा जारी 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स मार्गिनर्देशों' द्वारा अपेक्षित ढंग से समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान 2009-10 के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणों के पुनरीक्षण हेतु समिति ने केवल 1 (एक) बार यथा 25 जून, 2010 को बैठक की है। निदेशक (वित्त) एवं कंपनी की सांविधिक साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों द्वारा समिति की इस बैठक में भाग लिया गया है।

26.0 लेखापरीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स डी.एन.मुखर्जी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार की नियुक्ति की है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संलग्न है।

27.0 लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

लेखापरीक्षकों के उनके प्रतिवेदन में किए गए मंतव्यों पर सदस्यों को प्रबंधन का जवाब अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

28.0 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट की पुनरीक्षा न करने का फैसला किया है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 'शून्य' टिप्पणी दी है। नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के दिनांक 5 सितंबर, 2011 की टिप्पणी यहां संलग्न की जाती है एवं वह प्रतिवेदन का अंश है।

29.0 निदेशकगण

29.01 विगत प्रतिवेदन के बाद से भाउवि ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 के आदेश संदर्भ सं. 8(14)/2006-पीई-।।। के जरिए श्री प्रमोद कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को रेलवे मंत्रालय में पुनर्वापसी कर दिया है। इस आदेश के फलस्वरूप उन्होंने श्री एस. बॉल, प्रबन्ध निदेशक, बीबीजे की 1 नवंबर, 2010 से पद का प्रभार सौंप दिया है।

29.02 श्री एस. बॉल 1 नवंबर 2010 से प्रभावी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद का प्रभार ग्रहण कर लिया है।

29.03 भा. उ. वि. ने दिनांक 4 मई, 2011 के आदेश संदर्भ सं. 8(3)/87 पीई-।।। (खंड-।।) के जरिए श्री शशांक गोयल को निदेशक मंडल में श्री अम्बुज शर्मा के स्थान पर सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्ति दी है।

29.04 भा. उ. वि. ने दिनांक 26 अगस्त, 2011 के आदेश संदर्भ सं. 8(3)/87-पीई-।।। (खंड-।।) के जरिए श्री वी. सेथुमाधवन को निदेशक मंडल में श्री आर. अशोकन के स्थान पर सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्ति दी है।

29.05 सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री एस. के. दास ने कंपनी के निदेशक (वित्त) का पदभार 01 सितंबर, 2011 से प्रभावी परित्याग कर दिया है। भा.उ.वि. दिनांक 29 अगस्त, 2011 के आदेश संदर्भ सं. 8(17)/2005-पीई-।।। के जरिए श्री नीरज मिश्रा, निदेशक (तकनीकी) को पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपी है।

29.06 निदेशकगण, श्री कुमार, श्री शर्मा, श्री अशोकन एवं श्री दास द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

30.0 आचरण नियमावली

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई 'केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देशों' के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड सदस्यों एवं वरीय प्रबंधन के लिए रखा गया व्यवसाय आचरण नियम प्रभावी है।

31.0 आभारज्ञापन

31.01 निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों खासकर, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के प्रति सभी मार्ग निर्देश एवं उनके समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

31.02 निदेशकगण विभिन्न राज्य सरकारों, खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा एवं उड़ीसा सरकारों के प्रति भी उनके समर्थन और मार्ग निर्देश के लिए अपना धन्यवाद दर्ज करते हैं।

31.03 निदेशकगण भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के बैंकरों के प्रति भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और समर्थन के लिए अपना धन्यवाद दर्ज करते हैं।

31.04 निदेशकगण भाभाउनिलि समूह कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रति भी उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और कठिन परिश्रम के लिए अपनी गहरी भावना से सराहना दर्ज करते हैं। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि इनकी समर्पण और सहयोग से समूह परवर्ती वर्षों में कार्य निष्पादन की उचाइयाँ हासिल करेगी और राष्ट्र की सेवा में अपनी पूर्ण क्षमता लगा देगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कोलकाता,

19 सितंबर, 2011

सैबाल बॉल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

अनुलग्नक - क

भाभाउनिलि समूह हेतु वित्तीय कार्य निष्पादन का तुलानात्मत्क विवरण

(रु. करोड़ में)

कंपनी →	बीबीजे	बीबीयूएनएल (खास)	कुल
वर्ष 2010-11			
1. सकल उत्पादन	146.51	11.46	157.97
2. विपत्रयोग्य उत्पादन	146.51	11.19	157.70
3. सकल आय	147.31	13.43	160.74
4. प्रचालन लाभ/(हानि) - पीबीडीआईटी	7.53	0.03	7.56
5. पूर्वावधि/प्रावधान/असामान्य मद	1.06	(0.01)	1.05
6. ब्याज - बैंक एवं अन्य	0.46	-	0.46
7. ब्याज - सरकारी ऋण	0.44	-	0.44
8. ह्रास	1.08	0.02	1.10
9. कर एवं लाभांश पूर्व शुद्ध लाभ - पीबीटी	4.49	0.02	4.51
10. कर (एफबीटी सहित)	0.89	0.0001	0.89
11. **कर पश्चात् शुद्ध लाभ - पीएटी**	-	0.02	3.62
12. नकद लाभ बगैर भा.स. के ब्याज	5.12	0.04	5.16
13. लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	0.06	-	0.06
14. शुद्ध लाभ	3.54	0.02	3.56
वर्ष 2009-10			
1. सकल उत्पादन	**82.56**	**3.45**	**86.01**
2. विपत्रयोग्य उत्पादन	82.56	2.77	85.33
3. सकल आय	84.21	5.33	89.54
4. प्रचालन लाभ/(हानि) - पीबीडीआईटी	5.89	0.57	6.46
5. पूर्वावधि/प्रावधान/असामान्य मद	1.13	-	1.13
6. ब्याज - बैंक एवं अन्य	0.28	-	0.28
7. ब्याज - सरकारी ऋण	0.43	-	0.43
8. ह्रास	0.72	0.03	0.75
9. कर एवं लाभांश पूर्व शुद्ध लाभ - पीबीटी	**3.33**	**0.54**	**3.87**
10. कर (एफबीटी सहित)	0.57	0.13	0.70
11. कर पश्चात् शुद्ध लाभ - पीएटी	2.76	0.41	3.17
12. नकद लाभ बगैर भा.स. के ब्याज	3.91	0.44	4.35
13. लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	0.06	0.06	0.12
14. शुद्ध लाभ	2.70	0.35	3.05

द्रष्टव्यः भारत सरकार के अनुमोदन से बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि. (बीएससीएल) एवं ब्रेथवेट एण्ड कं. लि. (बीसीएल) का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

अनुलग्नक - ख

लेखा परीक्षकों के मंतव्यों पर प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों के मंतव्य		प्रबंधन का उत्तर
(i) जैसा कि अनुसूची-21 के द्रष्टव्य-6 में बताया गया है कि जेसप एण्ड कंपनी लि. के 68134428 सं. इक्विटी शेयरों के विनिवेश से पूर्ववर्ती वर्ष में 6813.44 लाख रुपये निवेश के विरुद्ध प्राप्त हुई 1818.00 लाख रुपये की राशि भारत सरकार को वापस कर दी गयी थी, हमारी राय में 6813.44 लाख रु. मूल्य वाले कथित शेयरों की बिक्री के विरुद्ध कम उगाही होने पर 4995.44 लाख रुपये की हानि का लेखा में प्रावधान रखना चाहिए था। फिर भी, कंपनी ने निर्गत एवं अभिदत्त पूँजी के साथ आवश्यक समायोजन करने हेतु भारत सरकार से कही है।	●	इसे लेखा की टिप्पणी (अनुसूची-21, टिप्पणी-6) में स्पष्ट किया गया है। फिर भी कंपनी के खाते में निर्गत एवं अभिदत्त शेयर पूँजी के मूल्य में आवश्यक समायोजन हेतु इस विषय का सूत्रपात भारत सरकार से किया गया है।
(ii) ऊपर (i) में बताये अनुसार जेसप एण्ड कंपनी लि. में इक्विटी शेयरों के विनिवेश के फलस्वरूप, 31 मार्च 2011 को स्थित कंपनी अभी भी निवेश के तौर पर कथित कंपनी में 25580122 सं. इक्विटी शेयर धारित करती है। 31 मार्च, 2011 को स्थित निवेश के तौर पर उन शेयरों के बाजार दर नहीं मिलने से, आज की तारीख पर उन शेयरों के मूल्य में कमी निश्चेय नहीं है एवं इसलिए कोई टिप्पणी नहीं किया जाता है।	●	अवलोकन अस्वीकरण प्रकृति का है। फिर भी, स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों [अनुसूची-22 अनुच्छेद (घ)] में दिया गया है एवं लेखे की अनुसूची-21 की नोट-14 में है, जो स्वतः स्पष्ट है।
(iii) 31 मार्च 2011 तक समापन के अधीन सहायक कंपनियों के भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज (अनिश्चित राशि) के संबंध में अनुसूची-21 के नोट सं. 10 जिसकी उगाही पर मंतव्य नहीं की जा सकती है। फिर भी उपर्युक्त का कंपनी के प्रतिवेदित लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।	●	इस विषय पर लेखे की अनुसूची-21 की नोट 10 में किया गया पर्याप्त खुलासा स्वतः स्पष्ट है।
(iv) सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (समापन के अधीन) में कंपनी के निवेश की उगाही योग्य मूल्य 486.30 लाख रु. एवं इससे ऋण और अग्रिमों एवं अन्य बकायों की वसूली (अनुसूची 21 की टिप्पणी सं-4 का संदर्भ लें) पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	●	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति [अनुसूची-22 के अनुच्छेद (घ)] के अनुपालन में सहायक कंपनियों में दीर्घकालीन निवेश कंपनी द्वारा समनुरूप प्रथा के मुताबिक लागत पर निकाली जाती है। कंपनी भारत सरकार द्वारा विशेष सहायिकाओं में सदृश निवेश हेतु निर्मोचित इक्विटी योजना निधि में से सम दरों पर इन सहायिकाओं में नया निवेश करती हैं। इन निवेशों की वसूली योग्य मूल्य में गिरावट से होने वाली हानि की किसी सम्भाव्यता की दशा में कंपनी हानि को यथोचित समझते हुए भा.स. की ओर उपर्युक्त कार्रवाई हेतु बढ़ा देगी। यह भी जिक्र किया जाता है कि सहायक कंपनियों के लिए योजना ऋण, गैर योजना ऋण हेतु भारत सरकार की ऋण निधि कंपनी के माध्यम से वितरण के लिए संबंधित सहायक कंपनी को दी जाती है।

लेखा परीक्षकों के मंतव्य		प्रबंधन का उत्तर
		कथित ऋणों की उगाही न होने की किसी स्थिति में भारत सरकार के निदेशों के तहत कंपनी की बहियों के अनुसार सहायक कंपनियों को वितरित की गयी स्वीकृत ऋणों का समायोजन कंपनी के खाते में भारत सरकार को देय ऋण की समान राशि से की जायेगी। अतएव, कंपनी के खाते में इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह हालात संबंधित सहायिका/उपक्रम के वित्तीय पुनर्संरचना के अनुमोदन पर उभरेगा।
(v) वर्ष 2005-06 में जेसप एण्ड कंपनी की सेवा प्रभार की वापसी हेतु पूर्वावधि समायोजन (जमा) तथा पूर्वावधि समायोजन लेखा (नामे) में 82.72 लाख रु. की वृद्धि हुई होती। [अनुसूची 21 के टिप्पणी सं. 15 संदर्भ लें)] तथापि, कंपनी के प्रतिवेदन लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।	●	कंपनी ने उसी राशि के लिए जेसप एण्ड कंपनी लि. पर अपनी दावा की है एवं तत्पश्चात् कंपनी ने राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है। फिर भी, कंपनी के लाभ पर कोई परिणामिक प्रभाव नहीं है जिसे लेखा परीक्षकों द्वारा पुष्टि भी की गई है।
(vi) कुछेक पार्टियों (राशि निश्चेय नहीं) से शेष की पुष्टि लंबित रहने के बारे में अनुसूची-21 के नोट सं.16 ।	●	पुष्टि अब प्राप्त हो गई है एवं इसे लेखा परीक्षकों को दिखाई गई है।
(vii) अगर अनुच्छेद 4(i) में दिये गये अवलोकनों को लेखा में विचार किया जाता तो 1.71 लाख रुपये की कर-पूर्व प्रतिवेदित लाभ के विरुद्ध वर्ष के लिए 4993.75 लाख रुपये की हानि हुई होती, लाभ और हानि खाता के 74.79 लाख रुपये की प्रतिवेदित जमा शेष के विरुद्ध लाभ और हानि खाता के नामे शेष 4918.94 लाख रुपये होता एवं 6947.81 लाख रुपये की प्रतिवेदित आंकड़े के विरुद्ध अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ 1952.37 लाख रुपये की होतीं।	●	नोट कर लिया गया - कोई पृथक अभ्युक्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अब उपर्युक्त लेखा परीक्षकों के अवलोकन का अनिवार्य अहर्ता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर प्रतिवेदन

(1) कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देशों पर कंपनी का चिन्तनः

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर कंपनी का दर्शन निम्न पर हैः

क. इनके जरिए दीर्घमियादी पणधारी मूल्य एवं कंपनी की धन वृद्धि क्षमता बढ़ाने के लिए-

- दृढ़ व्यवसायिक फैसले लेने में उच्च प्रबंधन को सहायता करके;
- दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन

ख. कंपनी के सभी निर्णयों, क्रियाकलापों में पारदर्शिता एवं पेशेवर भंगिमा हासिल करना।

ग. प्रकटीकरण कार्यान्वयन का पालन करना।

घ. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स में इनके द्वारा उत्कृष्टता हासिल करना-

- कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप रहना एवं जहाँ भी संभव है उत्कृष्ट कार्य करना;
- आगे सुधार लाने के लिए वर्तमान पद्धतियों एवं नियंत्रण का आवधिक पुनरीक्षा करना;
- व्यवसाय संचालन में उच्च नीतिपरक स्तर स्थापित करना;
- कानून एवं नियमों से अनुपालन करना;
- निदेशक मंडल द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करना।

(2) निदेशक मंडलः

2.1 **संघटनः**

कंपनी अधिनिम, 1956 की धारा 617 के अभिप्राय से कंपनी एक सरकारी कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति (यथा केन्द्र सरकार) द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों (क्रियाशील, सरकारी या गैर-सरकारी) की नियुक्ति की जाती है।

31.3.2011 को कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों की संख्या 5(पाँच) थी, जिनमें से तीन कार्यकारी निदेशकगण थें, यथा-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त कार्यभार के रूप में); निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (तकनीकी); दो सरकारी अधिकारी (नामांकित निदेशक) थे।

भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग (संक्षिप्त में 'भाउनि') दिनांक 14.07.2010 के आदेश के जरिए वहां बताये हुए तरीके से निदेशक मंडल के पुनर्गठन करने के निर्णय से अवगत कराया है। आदेश के मुताबिक निदेशक मंडल की शक्ति 8 (आठ) निदेशकों तक होंगी - तीन कार्यशील निदेशकगण (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समेत) एवं दो सरकारी नामांकित निदेशकगण एवं तीन स्वतंत्र (गैर सरकारी अंशकालिक) निदेशकगण। तथापि, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार यथा भा.उ.वि. के विचाराधीन है।

31.3.2011 को स्थित निदेशक मंडल एवं निदेशक द्वारा विभिन्न कंपनियों की कमिटियों में अन्य निदेशक एवं सदस्यता/अध्यक्षता करने की संख्या का गठन नीचे दिया जा रहा हैः-

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निदेशकों के नाम	निदेशक की श्रेणी	अन्य बोर्ड की संख्या जहां वे सदस्य या अध्यक्ष हैं	अन्य कंपनियों की समिति में सदस्यता है*	
			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
1. श्री सैबाल बॉल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यशील निदेशक)	2	शून्य	शून्य
2. श्री स्वपन कुमार दास	निदेशक (वित्त) (कार्यशील निदेशक)	2	शून्य	शून्य
3. श्री नीरज मिश्रा	निदेशक (तकनीकी) (कार्यशील निदेशक)	2	शून्य	शून्य
4. श्री अंबुज शर्मा	सरकारी नामिनी	4	शून्य	शून्य
5. श्री आर अशोकन	सरकारी नामिनी	5	1	शून्य
6. श्री रंजीत सिन्हा (14.7.2010 तक)	गैर-कार्यपालक निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
7. श्री सैबाल बॉल (04.9.2010 तक)	गैर-कार्यपालक निदेशक	2	शून्य	शून्य
8. श्री सुनिल कुमार ऋषि (04.9.2010 तक)	गैर-कार्यपालक निदेशक	1	शून्य	शून्य

* लेखापरीक्षा समिति की सदस्यता / अध्यक्षता, निवेशकों की शिकायत समिति एवं पारिश्रमिक समिति का प्रतिनिधित्व करता है।

द्रष्टव्यः

भाउवि के आदेश के अनुसरण में श्री सिन्हा, श्री बॉल एवं श्री ऋषि पदेन (गैर-कार्यपालक) निदेशक नहीं रहें। तत्पश्चात् श्री बॉल को फिर भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2.2 बोर्ड बैठकः

निदेशक मंडल की बैठकों की तारीखें पहले ही तय कर ली जाती है। बैठकें संरचित कार्यसूची द्वारा नियंत्रित होती है एवं जानकारियों की विस्तृत पृष्ठभूमि देते हुए कार्यसूची नोट/कागज़ातों के जरिए बैठक से सात दिन पूर्व ही निदेशकों को परिचालित कर दी जाती है। जहां कार्यसूची नोट/कागजातों के अंग के रूप में सूचनाओं की पृष्ठभूमि संलग्न करना या भेजना व्यावहारिक नहीं होता है तो बैठक में ही पटल पर रख दी जाती है।

बैठकों में उपस्थितिः

31.3.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान - निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें 25.06.2010, 04.09.2010, 23.12.2010 एवं 29.03.2011 को आयोजित हुई थी।

निदेशक मंडल की बैठकें एवं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थितिः

निदेशकों के नाम	बैठकों की संख्या जिसमें उपस्थिति थें	10.12.2010 को आयोजित विगत वा.सा. वै. में उपस्थिति
श्री प्रमोद कुमार	2	हाँ
श्री स्वपन कुमार दास	4	हाँ
श्री नीरज मिश्रा	3	हाँ
श्री अम्बुज शर्मा	4	नहीं
श्री आर. अशोकन	4	नहीं
श्री रंजीत सिन्हा	शून्य	नहीं
श्री सैबाल बॉल	4	हाँ
श्री सुनिल कुमार ऋषि	1	हाँ

3. लेखा परीक्षा समिति-

इस समय निदेशक मंडल के पास केवल एक लेखा परीक्षा समिति है (जो मार्गदर्शन के अनुसार पुनर्गठन हेतु प्रतिक्षारत है)। इस समिति का ब्यौरा अधोलिखित है-

क. भूमिकाः

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.2 के अधीन बताये गये विषयों को लेकर है। समिति, प्रबंधन, सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों एवं निदेशकों मंडल के बीच संपर्क कार्य करती है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का मूल्यांकन करती है।

ख. लेखापरीक्षा समिति का गठनः

लेखापरीक्षा समिति (वर्ष के भाग में समाप्त) श्री आर. अशोकन, श्री सैबाल बॉल एवं श्री सुनिल कुमार ऋषि को लेकर है। श्री आर. अशोकन समिति के अध्यक्ष थें। सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक थे। समिति की बैठकों में श्री एस.के.दास, निदेशक (वित्त) उपस्थित हुए थे। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के तौर पर कार्य किये थे। वर्तमान में लेखा परीक्षा समिति की पुनर्गठन की प्रतिक्षा है।

ग. **प्रत्येक सदस्य की उपस्थितिः**

31.3.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 1 (एक) बैठक 25.06.2010 को आयोजित हुई थी।

4. पारिश्रमिक समिति

मार्गनिर्देशों में दिए गए ऐसी कोई समिति नहीं है जिसका नेतृत्व एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जायेगी। आगे भारत सरकार लोक उद्यम विभाग (संक्षिप्त - लोउवि) द्वारा इस संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालकों एवं गैर यूनियन वाले पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक तय किये जाते हैं।

5. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु स्तर बनाये रखने एवं कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता नियमावली बनायी है। जिसे कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी गई है।

6. साधारण सभा की बैठकेंः

विगत तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरणः

वित्तीय वर्ष	तारीख एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित यदि कोई हो तो
2009-10	10.12.2010 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	पंजीकृत कार्यालयः 26, राजा संतोष रोड अलीपुर, कोलकाता - 700 027	शून्य
2008-09	20.11.2009 अपराह्न 2.00 बजे	उपर्युक्त	शून्य
2007-08	26.11.2008 को अपराह्न 2.30 बजे	उपर्युक्त	हाँ, शेयर पूंजी में कमी के लिए

31.3.2011 को समाप्त वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक कंपनी की पंजीकृत कार्यालय में दिनांक 23.9.2011 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित होगी।

7. प्रकटीकरण

i) महत्वपूर्ण वस्तुपरक संबंधित पार्टियों की लेन देन जो कंपनी के हित से संभाव्य द्वंद रखता है - ऐसा कोई सौदा नहीं है। तथापि, ले.मा.-18 के तहत यथा अपेक्षित प्रकटीकरण को लेखे पर टिप्पणी में शामिल किया गया है।

ii) कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जुर्माना,कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाये गये निन्दा, सरकार द्वारा जारी किसी विषय से संबंधित कोई दिशानिर्देश पर गैर-अनुपालन का ब्यौरा - कुछ नहीं था।

iii) किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने की मनाही पर व्हीशील ब्लोअर की नीति एवं स्वीकारोक्ति - इस समय कंपनी के पास व्हीशील ब्लोअर नीति नहीं है। तथापि लेखापरीक्षा समिति के पास जाने की किसी भी कार्मिक को मना नहीं किया गया है।

iv) इस दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन पर विवरण - कंपनी साधारणतः दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन की है। निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बारे में भाउवि को विषय से अवगत कराया गया है।

v) वर्ष के दौरान एवं विगत तीन वर्षों में भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रपति जी के निदेशों एवं उसके अनुपालन संबंधी ब्यौरा - कोई आदेश राष्ट्रपति जी की ओर से जारी नहीं की गई थी।

vi) लेखा पुस्तक में नामे डाले गये खर्च की मदें जिसका व्यवसाय से संबंध न हो - ऐसा किसी भी खर्च का मद नहीं है।

vii) निजी प्रकृति के किये गये एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हों - कुछ नहीं।

8. संप्रेषण के साधनः

कंपनी द्वारा जारी की गई शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। अतएवं समाचार पत्र में तिमाही परिणामों का प्रकाशन नहीं किया जाता। फिर भी, वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.बीबीयूएनएल.कॉम) में दिखाया जाता है।

पत्राचार का पता-
भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
26, राजा संतोष रोड, अलीपुर
कोलकाता - 700027

9. लेखापरीक्षा अहर्ताएं -

कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर चलने का प्रयत्न कर रही है।

10. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षणः

कंपनी के व्यवसायिक मॉडल में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता अभी तक महसूस नहीं किया गया है। तथापि भविष्य में इस पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

11. व्हीशील ब्लोअर नीतिः

कंपनी भविष्य में कर्मचारियों के लिए एक क्रियाविधि लगाने के लिए विचार करेगी। फिर भी, कंपनी खुले द्वार की नीति को प्रोत्साहित करती है जहां कर्मचारीगण अपने प्रधान तक पहुँच सके।

12. अनुपालन प्रमाण पत्रः

यह प्रतिवेदन 'केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देशों' की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है। लोउवि द्वारा विहित कार्पोरेट गवर्नेन्स के अनुपालन पर तिमाही प्रतिवेदन प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त प्रमाण पत्र इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कोलकाता
15 सितंबर, 2011

(सैबाल बॉल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

सदस्यगण,
भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
26, राजा संतोष रोड, अलीपुर,
कोलकाता - 700 027

हमने, भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं उसके अधीन अनुलग्नकों (यहाँ तत्पश्चात् 'मार्गनिर्देशों' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी की गयी 'केन्द्रीय लोक उद्यमों 2010 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देशों' में बताये अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा स्वीकृत की गयी दिशानिर्देशों में बताये कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन के सुनिश्चित करने के तरीकों एवं कार्यान्वयन तक ही सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में एवं हमारी जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के मुताबिक, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति (जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है) करने एवं गैर-सूचीबद्ध लोक उद्यम के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुसरण में लेखा परीक्षा समिति का गैर-अस्तित्व को छोड़कर विहित दिशानिर्देशों का अनुपालन की है।

हमें आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भविष्य की जीवनक्षम के बारे में न कोई आश्वासन है, न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन द्वारा संचालित प्रभावोत्पादकता की किसी कार्यक्षमता बताती है।

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 15.09.2011

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई

(सीए एस के बसु)
भागीदार
(सद. सं. 015016)

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों को लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबंधन का दायित्व है कि 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जानेवाला वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 तहत विनिर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन के तरीकों के अनुरूप हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत नियुक्त लेखा परीक्षकों का यह दायित्व है कि वे अपने व्यावसायिक निकाय यानी इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटैण्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा विनिर्धारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुरूप, स्वतंत्र लेखापरीक्षक पर आधारित कंपनी के उपर्युक्त वित्तीय विवरण पर अपना अभिमत व्यक्त करें। इनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 26 अगस्त, 2011 के आधार पर यह बताया गया है कि उनके द्वारा ऐसा ही किया गया है।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की पुनरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है एवं इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखा परीक्षक की ओर से

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 05 सितंबर, 2011

(नंदना मुंशी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-1, कोलकाता

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

1. हमने 31 मार्च 2011 को स्थित भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के तुलन-पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण का भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की मांग होती है कि हम वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन हासिल करने के लिए योजना बनाएँ एवं लेखा परीक्षा करें। लेखा परीक्षा में जांच आधारित परीक्षण, वित्तीय विवरणों में राशि एवं बताई गई बातों के समर्थन में साक्ष्य शामिल होते हैं। प्रबंधन द्वारा प्रयोग की गई लेखा सिद्धान्तों एवं महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन लेखा परीक्षा में शामिल होता है, साथ ही दिखाये गये सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी करता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी अभिमत हेतु यथोचित आधार प्रदान करता है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की उप धारा 227 की धारा (4ए) के संदर्भ में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2003 (यथासंशोधित) द्वारा यथापेक्षित एवं उपयुक्त समझे गए ऐसे रोक के आधार पर एवं लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के मुताबिक हम कथित आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में प्रयोज्य विशेषित विषयों पर यहां एक विवरण का अनुलग्नक संलग्न करते हैं।

4. हमें उपर अनुच्छेद-3 में संदर्भित अनुलग्नक में की गई अपनी अभ्युक्तियों से आगे कहना है कि-

   i. अनुसूची-21 के नोट सं.-6 में यथोक्त जेसप एण्ड कंपनी लि. की 68134428 संख्या इक्विटी शेयरों के विनिवेश के कारण 6813.44 लाख रु. के निवेश के विरुद्ध पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त हुए 1818 लाख रुपये वर्ष के दौरान भारत सरकार को लौटा दिया गया था। हमारे विचार से 6813.44 लाख रु. मूल्य को कथित शेयरों की बिक्री के विरुद्ध कम उगाही से 4995.44 लाख रु. राशि की हानि का प्रावधान रखना चाहिए था। फिर भी, कंपनी ने निर्गत एवं अभिदत्त पूंजी के साथ आवश्यक समायोजन करने हेतु भारत सरकार से कही है।

   ii. ऊपर (i) में जैसा बताया गया है जेसप एण्ड कंपनी लि. में इक्विटी शेयरों के विनिवेश हो जाने के फलस्वरूप, कंपनी अभी भी निवेश के रूप में 31 मार्च. 2011 को स्थित उक्त कंपनी में शेष 25580122 सं. इक्विटी शेयर धारित करती है।

   31 मार्च, 2011 को स्थित निवेश के रूप में धारित उन शेयरों का बाजार दर न होने से उसी तारीख को उन शेयरों के मूल्य में ह्रास, यदि है तो विर्निधारण योग्य नहीं है अतएवं इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

   iii. 31 मार्च 2011 तक समापन के अधीन सहायक कंपनियों के भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज के संबंध में अनुसूची-21 के नोट सं. 10 की उगाही पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। फिर भी, कंपनी के प्रतिवेदित लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

   iv. कंपनी की सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि. (समापन के अधीन) में 486.30 लाख रु. कंपनी की निवेशों की राशि की वसूली मूल्य एवं इन कंपनियों (कृपया अनुसूची-21 के नोट 4 देखें) से ऋणों तथा अग्रिमों और दूसरे बकाये की वसूली के बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती।

   v. वर्ष 2005-06 (अनुसूची-21 के नोट-15 देखें) में जेसप एण्ड कंपनी लि. की सेवा शुल्क की वापसी के लिए पूर्वावधि समायोजन लेखा (जमा) तथा पूर्वावधि समायोजन लेखा (नामे) में 82.72 लाख रु. की वृद्धि हुई होती। फिर भी, कंपनी की प्रतिवेदित लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

vi. कतिपय पार्टियों से शेष संपुष्टि (राशि निश्चेय नहीं है) के अप्राप्त रहने के बारे में अनुसूची-21 के नोट सं. 16 देखें।

vii. अगर अनुच्छेद 4(i) में दिए गए अवलोकनों को लेखे में विचार किया जाता तो 1.71 लाख रु. की करपूर्व प्रतिवेदित लाभ के विरुद्ध वर्ष के लिए 4993.73 लाख रु. की हानि हुई होती, लाभ और हानि खाता के 74.79 लाख रु. की प्रतिवेदित जमा शेष के विरुद्ध लाभ और हानि खाता के नामे शेष 4918.94 लाख रु. होती एवं अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ 6947.81 लाख रु. प्रतिवेदित आंकड़े के विरुद्ध 1952.37 लाख रु. की होती।

ऊपर अनुच्छेद 4 में हमारे उपर्युक्त अवलोकनों के साथ, हम रिपोर्ट देते हैं कि -

(क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्धेश्य हेतु सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं।

(ख) हमारी राय में, बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है कंपनी द्वारा विधि सम्मत यथोचित लेखा पुस्तकें रखी गयी हैं।

(ग) इस प्रतिवेदन के जरिए दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3सी) में दी गई लेखा मानकों के आवश्यकताओं का पालन करती हैं।

(ङ) सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

(च) हमारी राय में और जानकारी के मुताबिक हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा एवं उन पर द्रष्टव्यों के साथ, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथापेक्षित सूचनाएँ एवं भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं सही रूप प्रदान करती है।

i. 31 मार्च 2011 को स्थित कंपनी के मामले में तुलन पत्र
एवं
ii. उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामले में लाभ और हानि लेखा।
iii. उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के मामले में नकद प्रवाह विवरण।

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 26.08.2011

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई

(स.ले. आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
(सद. सं. 015029)

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के सदस्यों को लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3 में संदर्भित अनुलग्नक

1) (क) कंपनी स्थायी परिसंपत्तियों का परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित करते हुए यथोचित अभिलेख रखी है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन किया गया है एवं कहा जा सकता है कि इस जांच में कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी अपनी किसी स्थायी सम्पत्ति का निपटारा नहीं की है।

2) कंपनी कोई माल-सूची नहीं रखती है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन) 'आदेश' 2003 (इसके आगे 'आदेश' के रूप में संदर्भित) के अनुच्छेद 4(ii) लागू नहीं है।

3) हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखी गई पूंजी के अधीन आनेवाली कंपनियों, फर्म एवं अन्य पार्टियों को/न ही किसी किस्म का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर किया है न ही ऋण लिया है। तद्नुसार, आदेश के धारा 4(3) की उप-धाराएँ (ख)(ग)(घ)(च) एवं (छ) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

4) हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सामग्रियों एवं स्थायी परिसम्पदों की खरीद, माल एवं सेवाएँ की बिक्री से सम्बन्धित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धति कंपनी के आकार एवं कारोबार की प्रकृति के आनुपातिक है।

5) हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा पद्धतियों के आधार पर एवं हमें दी गई सूचनाएँ, स्पष्टीकरणों एवं अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के घेरे में आनेवाली कोई संविदा या व्यवस्था नहीं थी।

6) कंपनी कोई सार्वजनिक जमा स्वीकृत नहीं की है।

7) हमारी राय में कंपनी में कंपनी के आकार एवं कारोबार की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति है।

8) केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अधीन लागत अभिलेख रखने को नहीं कही है।

9) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, आय-कर, बिक्रय-कर, सेवा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, उपकर एवं दूसरे भौतिक सांविधिक बकायों समेत इस पर यथाप्रयोज्य अविवादित सांविधिक बकाया यथोचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2011 को आय-कर, सेवा-शुल्क, बिक्रय-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं उपकर के मामले में देय तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि की कोई निर्विवाद देय राशि बकाया नहीं थी।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्रय-कर, आय-कर, सीमा-शुल्क, सेवा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं उपकर का किसी विवाद के कारण जमा की गई कोई बकाया नहीं थी।

10) कंपनी की कोई संचित हानि नहीं है। कंपनी, हमारी लेखापरीक्षा वाले वित्तीय वर्ष एवं इसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं की है।

11) कंपनी किसी वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ऋण नहीं ली है।

12) कंपनी शेयरों, ऋणपत्रों एवं दूसरी प्रतिभूतियों को जमानत के आधार पर गिरवी रख कोई उधार एवं अग्रिम मंजूर नहीं की है।

13) कंपनी कोई चिटफंड, निधि, परस्पर लाभदायी निधि या सोसाइटी नहीं है। तदनुसार, कंपनी के लिए आदेश के खण्ड 4(xiii) का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

14) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं दूसरे निवेशों का कार्य या व्यवसाय में संलग्न नहीं है, तदनुसार, कंपनी के लिए आदेश के खण्ड 4(xiv) का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

15) हमारी राय में सहायक कंपनियों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों के लिए जिन शर्तों पर कंपनी द्वारा गारंटी दी गई वे प्रथमदृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं है।

16) वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं ली है।

17) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं कंपनी के तुलन-पत्र की पूर्ण जांच करने पर हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि को दीर्घकालीन निवेशों के लिए व्यवहार नहीं किया गया है।

18) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा वाले अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखी जाने वाली पंजी के तहत पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का अधिमानिक आबंटन नहीं की है।

19) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋणपत्र जारी नहीं की है।

20) वर्ष के दौरान कंपनी सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई धन की उगाही नहीं की है।

21) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी में या द्वारा धोखेबाजी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 26.08.2011

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई

(स.ले. आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
(सद. सं. 015029)

31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

	अनुसूची	31.3.2011 को		31.3.2010 को	
आय के स्रोत -					
शेयरधारकों के कोष					
शेयर पूंजी	1		**10.698.06**		35,052.76
पुनर्गठन इक्विटी शेयर जमा	2		**1,388.00**		9,012.36
प्रारक्षित एवं अधिशेष	3		**74.79**		73.09
सहायतानुदान			**0.00**		0.00
ऋण कोषः					
अप्रतिभूत ऋण	4		**42,484.29**		1,62,865.60
कुल			**54,645.14**		2,07,003.81
कोष के उपयोगः					
स्थायी परिसंपत्तियाँ	5				
सकल ब्लाक		**77.73**		77.27	
न्यूनः मूल्यहास		**71.35**		69.16	
शुद्ध ब्लाक			**6.38**		8.11
निवेश	6		**5,113.01**		20,049.77
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिमों					
मालसूची	7	**92.41**		26.68	
विविध ऋणीगण	8	**638.82**		174.01	
नकद और बैंक शेष	9	**1,572.89**		3,515.65	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	10	**6,947.81**		7,311.14	
ऋण और अग्रिमों	11	**42,959.26**		1,84,422.35	
		52,211.19		1,95,449.83	
न्यूनः					
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान					
वर्तमान देयताएँ	12	**2,644.95**		8,452.73	
प्रावधान	13	**40.45**		51.17	
		2,685.44		8,503.90	
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ			**49,525.75**		1,86,945.93
विविध खर्च (जहां तक बट्टे खाते नहीं डाले गये या समायोजित नहीं की गयी)			**0.00**		0.00
कुल			**54,645.14**		2,07,003.81
लेखे पर द्रष्टव्यों	21				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22				

उपर्युक्त के संदर्भ में अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।
उसी तारीख को हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

(सैबाल बॉल)
कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई
(सी.ए, आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015029
स्थानः कोलकाता
तारीखः 26.08.2011

(एस.के. दास)
निदेशक (वित्त)

(एस.एन. मुखर्जी)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपये लाख में)

	अनुसूची	2010-11	2009-10
आय -			
बिक्री	14	**1,053.62**	250.04
सेवा प्रभार		**97.16**	147.00
अन्य राजस्व	15	**126.01**	109.17
भारत सरकार के ऋण के विरुद्ध प्राप्य ब्याज		**44.00**	13,223.34
स्टाक में वृद्धि / (गिरावट)	16	**65.73**	26.68
कुल		**1,386.52**	13,756.23
व्यय -			
माल की खरीद		**4.99**	39.81
अन्य प्रत्यक्ष प्रभार	17	**1,037.58**	172.75
नियोजन लागत	18	**217.86**	178.88
अन्य खर्च	19	**78.70**	84.54
मूल्यहास		**2.24**	2.66
भारत सरकार को देय बयाज	20	**44.00**	13,223.34
कुल		**1,385.37**	13,701.98
पूर्वावधि समायोजन के पूर्व वर्ष का लाभ		**1.15**	54.25
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध) - (नामे) / जमा		**0.56**	0.00
		54.25	1.71
कर एवं विनियोजन के पूर्व लाभ		**1.71**	54.25
कर हेतु प्रावधान [पूर्ववर्ती वर्ष हेतु शुद्ध समायोजन-0.02 लाख रु. (विगत वर्ष 1.20 लाख रु.)]		**0.02**	15.14
कर हेतु प्रावधान (एफबीटी) [पूर्ववर्ती वर्ष हेतु समायोजन - 0.01 लाख रु. (विगत वर्ष - 1.37 लाख रु.)]		**(0.01)**	(1.37)
कर पश्चात् लाभ - विनियोग हेतु उपलब्ध		**1.70**	40.48
विनियोजनः			
प्रस्तावित लाभांश		**0.00**	5.00
लाभांश पर कर		**0.00**	0.85
		1.70	34.63
पूर्ववर्ती वर्ष से लाभ अग्रेषित		**73.09**	38.46
तुलन पत्र में लाभ ले जाया गया		**74.79**	73.09
प्रति शेयर आय (1000/- रु. के प्रति इक्विटी शेयर)			
बेसिक		**0.11**	1.24
डाइल्युटेड		**0.08**	**0.92**
लेखे पर द्रष्टव्योंः	21		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		

उपर्युक्त के संदर्भ में अनुसूचियां लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग है।
उसी तारीख को हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

(सैबाल बॉल)
कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई
(सी.ए, आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015029
स्थानः कोलकाता
तारीखः 26.08.2011

(एस.के. दास)
निदेशक (वित्त)

(एस.एन. मुखर्जी)
कंपनी सचिव

अनुसूचियाँ

	31.3.2011 को	31.3.2010 को
	(रुपये लाख में)	
अनुसूची - 1		
शेयर पूंजी		
प्राधिकृत -		
34,81,000 (34,81,000) इक्विटी शेयर 1000 रु. प्रत्येक	**34,810.00**	34,810.00
निर्गमित एवं अभिदत्तः		
10,37,305 (33,89,778) इक्विटी शेयर 1000 रु. प्रत्येक पूर्णतः) चुकता (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य-3.8 एवं 9)	**10,373.05**	33,897.78
शेयर जमा लंबित आबंटन -		
भारत सरकार से प्राप्त	**325.01**	1,154.98
	10,698.06	35,052.76
अनुसूची - 2		
पुनर्गठन इक्विटी शेयर जमा -		
ऋणों के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हेतु लंबित आबंटन (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य-2)	**1,388.00**	9,012.36
	1,388.00	9,012.36
अनुसूची - 3		
आरक्षित एवं अधिशेषः		
लाभ एवं हानि खाता	**74.79**	73.09
	74.79	73.09

अनुसूचियाँ

	31.3.2011 को	31.3.2010 को
	(रुपये लाख में)	
अनुसूची - 4		
अप्रतिभूत ऋण -		
पुनर्गठन ऋण जमा -		
ऋण के शून्य दर पर ऋणपत्रों में परिवर्तनीय हेतु - लंबित आबंटन (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य 2)	**1,000.00**	3,494.48
भारत सरकार का ऋणः		
योजना	**328.95**	4,245.20
गैर-योजना	**4,020.40**	41,693.94
गैर योजना (स्वै.से.नि.यो.)	**922.66**	922.66
गैर योजना (स्वै.पृ.यो.)	**1,759.84**	1,759.84
ब्याज उपचित एवं बकायाः		
सरकारी ऋण पर	**34,452.44**	1,10,749.48
	42,484.29	1,62,856.60

अनुसूची - 5

स्थायी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2010 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान वियोजन	31.3.2011 को सकल ब्लॉक	1.4.2010 को स्थित	वर्ष के लिए	समायोजन या वियोजन	31.3.2011 को कुल	31.3.2011 को स्थित	31.3.2010 कुल स्थित
विद्युत अवस्थापना	12.29	0.00	0.00	12.29	11.53	0.10	0.00	11.63	0.66	0.76
फर्नीचर और फिटिंग्स	18.98	0.04	0.00	19.02	16.54	0.48	0.00	17.02	2.00	2.44
कार्यालय उपकरण	9.24	0.30	0.20	9.34	7.49	0.29	0.05	7.73	1.61	1.75
मोटर वाहन	10.32	0.00	0.00	10.32	9.96	0.10	0.00	10.06	0.26	0.36
कम्प्यूटर संस्थापन	26.44	0.32	0.00	26.76	23.64	1.27	0.00	24.91	1.85	2.80
कुल	77.27	0.66	0.20	77.73	69.16	2.24	0.05	71.35	6.38	8.11
गत वर्ष	**73.93**	**2.71**	**1.68**	**74.96**	**66.50**	**2.66**	**0.00**	**69.16**		
पूंजीगत कार्य जारी									**0.00**	**0.00**
								कुल	**6.38**	**8.11**

अनुसूचियाँ

	31.3.2011 को	31.3.2010 को
	(रुपये लाख में)	
अनुसूची - 6		
निवेश		
(व्यापार - लागत पर)		
सहायक कंपनियों के पूर्णतः चुकता शेयरो में		
अनुद्धृत	**2,512.80**	17,449.56
अन्य कंपनियों के पूर्णतः चुकता शेयरों में		
अनुद्धृत	**42.20**	42.20
उद्धृत	**2,558.01**	2,558.01
	5,113.01	20,049.77
निवेशों की सूची		
सहायक कंपनियाँ -		
बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड		
शून्य (13,26,155) इक्विटी शेयर 1000 रु. प्रत्येक (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य-8)	**0.00**	13,261.55
ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड		
शून्य (1,67,521) इक्विटी शेयर 1000 रु. प्रत्येक (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य-8)	**0.00**	1,675.21
भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड		
48,630 (48,630) इक्विटी शेयर 1000 रु. प्रत्येक (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य-4)	**486.30**	486.30
दि ब्रेथवेट एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड		
2,026,500 (2,026,500) इक्विटी शेयर 100 रु. प्रत्येक	**2,026.50**	2,026.50
अन्यः		
जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड		
2,55,80,122 (2,55,80,122) इक्विटी शेयर 10 रु. प्रत्येक (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य-7)	**2,558.01**	2,558.01
दि लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड		
4,22,000 (4,22,000) इक्विटी शेयर 10 रु. प्रत्येक	**42.20**	42.20
	5,113.01	20,049.77

अनुसूचियाँ

	31.3.2011 को	31.3.2010 को
	(रुपये लाख में)	
अनुसूची - 7		
मालसूची		
प्रगतिधीन कार्य	**92.41**	26.68
	92.41	26.68
अनुसूची - 8		
विविध ऋणीगण (अप्रतिभूत)		
छह महीने से ऊपर		
शोध्य माने गए	**38.03**	16.79
अन्य ऋण - शोध्य माने गए	**600.79**	157.22
	638.82	174.01
अनुसूची -9		
नकद और बैंक शेष		
नकद हस्तगत	**0.10**	0.12
चेक / ड्राफ्ट हस्तगत	**126.11**	0.00
बैंक शेषः		
अनुसूचित बैंकों के चालू खाते में बैंक शेष	**115.44**	87.04
अनुसूचित बैंकों में स्थायी जमा (1)	**1,331.24**	3,428.49
	1,572.89	3,515.65
(1) ग्रहणाधिकार के अधीन बैंक गारंटी एवं साख पत्र के लिए मार्जिन धन समेत है	**512.23**	714.06
अनुसूची - 10		
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
अन्य प्राप्यताएँ (अनुसूची-21 के द्रष्टव्य-6)	**6,824.81**	7,126.53
जमा	**95.83**	90.27
जमा पर ब्याज उपचित	**27.17**	94.34
	6,947.81	7,311.14

अनुसूचियाँ

	(रुपये लाख में) 31.3.2011 को	31.3.2010 को
अनुसूची - 11		
ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत)		
अग्रिम और ऋण -		
शोध्य माने गये (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य 3, 5 एवं 9)	**8,476.46**	70,142.01
नकद या वस्तुरूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु वसूली-योग्य अग्रिम - शोध्य माने गये (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य-9)	**205.63**	7.39
अग्रिम आय कर (प्रावधान का शुद्ध)	**15.00**	0.22
अग्रिम आय कर - एफबीटी (प्रावधान का शुद्ध)	**0.65**	0.64
अग्रिम एवं ऋण पर उपचित ब्याज	**34,261.52**	1,14,272.09
	42,959.28	1,84,422.35
अनुसूची - 12		
वर्तमान देयताएँ		
सहायक कंपनियों के कोश मार्गस्थ (अनुसूची-21 का द्रष्टव्य 11)	**104.19**	1,736.58
विविध ऋणदाताओं		
— माल के लिए	**31.37**	31.37
— खर्च के लिए	**890.99**	181.50
विविध जमा	**199.39**	192.85
अन्य देयताएँ	**386.59**	2,199.21
ग्राहकों से अग्रिम	**1,019.21**	384.49
भारत सरकार के ऋणों पर उपचित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	**13.21**	3,726.73
	2,644.95	8,452.73
अनुसूची - 13		
प्रावधान		
आनुतोषिक	**0.00**	5.28
छुट्टी भुनान आदि	**40.49**	40.04
प्रस्तावित लाभांश	**0.00**	5.00
आयकर (लाभांश)	**0.00**	0.85
	40.49	51.17

अनुसूचियाँ

	(रुपये लाख में) 2010-2011	2009-2010
अनुसूची - 14		
विक्रय		
विक्रय	**1.042.37**	248.58
निर्यात	**11.15**	1.46
	1,053.62	250.04
अनुसूची - 15		
अन्य राजस्व		
विनिमय दर भिन्नता	**0.00**	0.29
लाभांश प्राप्त	**12.67**	7.67
छूट प्राप्त	**0.00**	1.36
विविध आय	**2.31**	3.27
जमा पर ब्याज	**110.92**	86.68
ब्याज - अन्य	**0.11**	9.90
	126.01	109.17
अनुसूची - 16		
स्टाक में वृद्धि / (ह्रास)		
प्रारम्भिक स्टाक - प्रगतिधीन कार्य	**26.68**	0.00
अंतिम स्टाक - प्रगतिधीन कार्य	**92.41**	26.68
	65.73	26.68
अनुसूची - 17		
अन्य प्रत्यक्ष प्रभार		
उप ठेकेदारी खर्च	**1,037.58**	172.75
	1,037.58	172.75
अनुसूची - 18		
नियोजन लागत		
वेतन और मजदूरी	**157.13**	153.52
भविष्य निधि एवं अन्य कोषों में अंशदान	**44.43**	14.03
कल्याणकारी व्यय	**16.30**	11.33
	217.86	178.88

अनुसूचियाँ

	(रुपये लाख में) 2010-2011	2009-2010
अनुसूची - 19		
अन्य व्यय		
किराया	**12.59**	13.69
स्थानीय कर एवं कर	**0.26**	0.51
बीमा	**0.11**	0.12
मरम्मत एवं अनुरक्षण - भवन	**11.26**	10.36
- अन्य	**3.52**	4.19
मुद्रण और लेखन सामग्री	**2.70**	2.47
यात्रा व्यय		
अन्तर्देशीय	**13.38**	12.26
विदेशी	**0.00**	5.68
डाक महसूल और दूरभाष खर्च	**2.99**	3.93
मोटर वाहन व्यय	**3.76**	4.82
बैंक प्रभार	**2.89**	1.04
चन्दा	**1.18**	1.23
विज्ञापन	**3.93**	3.03
बिजली और ईंधन	**5.64**	7.38
बैठक व्यय	**0.27**	0.19
ठेका कार्य / बिक्री कर / सेवा कर	**3.23**	1.38
संवर्धनात्मक व्यय	**0.01**	0.20
गाड़ी भाड़ा प्रभार	**7.17**	5.35
लेखा परीक्षकों को भुगतानः		
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	**0.40**	0.40
कर लेखा परीक्षा शुल्क	**0.11**	0.11
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	**0.28**	0.24
विधिक / पेशावार / परामर्शी शुल्क	**1.28**	4.11
विनिमय दर परिवर्तन	**0.48**	0.00
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि (शुद्ध)	**0.10**	0.00
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	**0.00**	1.00
विविध व्यय	**1.16**	0.85
	78.70	84.54
द्रष्टव्य -		
(क) निदेशकों के लिए शामिल		
- अन्तर्देशीय	**7.37**	6.06
- विदेशी	**0.00**	5.68
अनुसूची - 20		
भारत सरकार को देय ब्याज		
भारत सरकार के ऋण		
योजना	**44.00**	853.77
गैर योजना	**0.00**	12,369.57
	44.00	13,223.34

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

अनुसूची - 21

लेखे पर द्रष्टव्य

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. (क) पूंजी प्रतिबद्धता -		
निष्पादन के लिए शेष बचे संविदाओं की प्राक्कलित राशि	**शून्य**	शून्य
(ख) प्रावधान नहीं की जाने वाली आकस्मिक देयताएँ निम्नरूप हैं -		
(i) बैंक गारंटी / सा.प. (असमाप्त)	**506.38**	595.39
(ii) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के लिए समानान्तर ऋणाधार के रूप में कंपनी द्वारा दी गई गारंटी निम्न है:		
दि ब्रेथवेट बर्न एवं जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा उधार सुविधा प्राप्त करने के लिए केनरा बैंक के पक्ष में।	**9000.00**	9000.00
(iii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) द्वारा वित्तीय सहायता, उधार सुविधा प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा दी गई गारंटी निम्न है:		
क) युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में।	**शून्य**	500.00
ख) भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में।	**शून्य**	4495.00
(iv) वेतन 01.01.2007 से 31.3.2008 में मंहगाई भत्ता के विलयन एवं 2007 के बकाया प्रतिनियुक्ति वेतन का प्रभाव भारत सरकार द्वारा यथानुबद्ध पर्याप्त अंतरिक संसाधनों के तैयार होने पर सम्भाव्य है	**19.98**	14.67
2. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण पर्षद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्व्स लिमिटेड (बीबीवीएल), आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूंजी पुनर्गठन हो जाने से तथा बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीएसएल) एवं दि ब्रेथवेट बर्न एवं जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के बारे में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणपत्रो में परिवर्तन की अनुमति की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार की अनुमोदन के अनुसरण में एवं औपचारिकताओं के पूरा होने लंबित पड़े रहने से -		
(क) बीबीजे के लिए 'पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा' के रूप में 1388.00 लाख रु. (1388.00 लाख रु.) दिखाए गए हैं।		
(ख) बीबीजे के लिए 'पुनर्संरचना ऋणपत्र जमा' के रूप में 1000.00 लाख रु. (1000.00 लाख रु.) दिखाए गए हैं।		
(ग) बीएससीएल एवं बीसीएल का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को हस्तांतरण करने की भारत सरकार के दिनांक 06.08.2010 के अनुमोदन के अनुसरण में बीबीवीएल (बीएससीएल की सहायिका) एवं बीसील के लिए क्रमशः 297.56 लाख रु. एवं 7326.80 लाख रु. की पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा एवं बीएससीएल के लिए 2494.48 लाख रु. की 'पुनर्संरचना ऋणपक्ष जमा' को कंपनी के खाते में समायोजित कर दी गई है।		
3. भारत सरकार द्वारा 29.12.2005 को बीसीएल की वित्तीय पुनर्संरचना के अनुसरण में एवं कंपनी की आनुषंगिक निवेश के मूल्य में कमी होने से (अग्रिमों अनुसूची-11 में शामिल की गई) निवेश की राशि में ऐसी कमी, भारत		

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सरकार के दिनांक 06.08.2010 को अनुमोदन प्राप्ति होने पर कंपनी के खाते में इक्विटी पूंजी में सदृश कमी समायोजित कर दी गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन औपचारिकताओं के अनुपालन की प्रक्रिया जारी है।		
4. चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानको (ए.एस.)-13 के अनुसरण में कुछ पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष सहायक कंपनियां एवं सहायिका के जरिए जिनका विवरण नीचे दिया गया है, जहाँ समापन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है के दीर्घकालीन निवेशों के मूल्य में कोई भी ह्रास नहीं किया गया है। अंशदाताओं को वापस करने योग्य राशि के बारे में सरकारी समापकों द्वारा निपटान को पूरा करने के बाद कोई भी फलदायी वित्तीय प्रभाव को भारत सरकार के निर्देश (शों) के मुताबिक किया जाएगा।		
समापन के आदेश की तारीख - भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (27.7.2004) वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड (08.04.2003)		
5. वित्तीय पुनर्संरचना पुनर्गठन बनाम सरकारी मंजूरी आदि के फलस्वरूप बीबीजे, बीएससीएल, बीबीवीएल एवं आरबीएल के बारे में (भारत सरकार के अप्रतिभूत ऋणों के परिवर्तन के लिए) ऋण एवं अग्रिमों में ऋणपत्रों के विरुद्ध 1000.00 लाख रुपये (1000.00 लाख रुपये) शामिल हैं जिसके लिए आबंटन लंबित है।		
6. भारत सरकार के दिनांक 26.08.2003 के पत्रांक 17(12)/2000-पी.ई.।।। द्वारा स्पष्ट हो जाने के पश्चात कंपनी द्वारा जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) एवं इन्डो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच निष्पादित शेयरधारकों के करारनामा की शर्तों के मुताबिक जेसप का 6813442 (यानी 72 प्रतिशत) इक्विटी शेयरों के हस्तान्तरण कंपनी द्वारा 29.08.2004 को इन्डो वैगन एण्ड इंजीनियरिंग लि. के पक्ष में कर दिया गया। शेयरधारकों के प्रतिमान में उपर्युक्त हस्तांतरण के परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार 29.08.2003 से प्रभावी जेसप, सहायक कंपनी एवं 'सरकारी कंपनी' नहीं रह गयी। जेसप के शेयरों की बिक्री की सरकार की उपर्युक्त निर्णय को दो पृथक पार्टियों द्वारा उपयुक्त न्यायालय यानी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। अब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विषय निपटा दी गई है। फिर भी, यह विषय आज की तारीख पर माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता में लंबित पड़ा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता में लंबित पड़े रहने के कारण समूचा 1818.00 लाख रु. (1818.00 लाख रु.) उगाही की गई एवं चालू देयताएँ के अधीन 'अन्य देयताएँ' डाले गये बिक्री राशि को भारत सरकार के निदेश पर वर्ष के दौरान संबंधित व्यय के साथ समायोजन करके भारत सरकार को लौटा दी गई है। 6813.44 लाख रु. (6813.44 लाख रु.) की निवेश की लागत को चालू परिसम्पत्तियों के अधीन 'अन्य प्राप्यताओं' में शामिल किया गया है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा।		
7. वर्ष 2005-06 के दौरान जेसप ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण पर्षद (बीआईएफआर) के पास इक्विटी शेयरों के नामिनल मूल्य 10 रु. से 1 रु. निर्धारित (कम) करने के लिए आवेदन किया है। बीआईएफआर ने 31.8.2005 को जारी किए गए निदेशों से जेसप को कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 100, 101, 102 एवं 103 के अधीन प्रावधानों के शर्तों के मुताबिक इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने के लिए अनुमति प्रदान की है।		

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कंपनी ने बीआईएफआर के पूर्वोक्त निदेशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद के अपीलीय प्राधिकारी (एएआईएफआर) के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा-25 के अधीन एक अपील भी दायर की है। एएआईएफआर दिनांक 28.02.2008 को अपने आदेश द्वारा अन्य अपीलों को खारिज कर दिया है जबकि एक अपील पहले उठा लिया गया है। कंपनी ने, विवाद को कंपनी द्वारा इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. (जेसप में रणनीति भागीदार) के बीच शेयरधारकों के करारनामें के अनुसार मध्यस्थता के लिए सुपुर्द किया है। कंपनी ने एएआईएफआर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय, कलकत्ता में एक रिट याचिका दायर करने के लिए कदम उठाई है जो आज की तारीख पर निपटारा के लिए लंबित है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निदेशों का पालन करते हुए बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा। 8. कंपनी की दो पूर्ववर्ती सहायक कंपनियाँ यथा - बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) एवं ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.(बीसीएल) की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए उपायों पर भारत सरकार के अनुमोदन सं. 8(12)/2009-पीई-।।। दिनांक 06.08.2010 के अनुसरण में संबंधित उपायों को क्रियान्वित की गई है एवं वर्ष के दौरान कंपनी के लेखे में निम्न रूप से दिखाया गया है - क) बीएससीएल एवं बीसीएल का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को क्रमशः 15.09.2010 एवं 06.08.2010 को हस्तांतरित कर दी गई है। बीएससीएल की सेलम की रिफ्रैक्ट्री इकाई (समूची परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ समेत) इस्पात मंत्रालय के अधीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) को हस्तांतरित की जाएगी। ख) 31.12.2009 को स्थित बीएससीएल की 31.70 करोड़ रु. की भारत सरकार के योजना ऋण, 350.82 करोड़ रु. की गैर-योजना ऋण एवं 75.03 करोड़ रु. की शून्य दर ऋणपत्रों का इक्विटी में परिवर्तन किया एवं तत्पश्चात् इसकी संचित हानियों में सदृश कमी के साथ 457.55 करोड़ रुपये की इक्विटी में ह्रास हुई है। ग) 31.3.2009 को स्थित भारत सरकार द्वारा आरबीएल (बीएससीएल की सहायिका) को कंपनी के जरिए दो गई भारत सरकार की 28.16 करोड़ रु. की योजना ऋण, गैर-योजना ऋण एवं 14.30 करोड़ रु. की शून्य दर ऋणपत्रों का इक्विटी में परिवर्तित की गई एवं तत्पश्चात् इसकी संचित हानियों में सदृश कमी के साथ 42.46 करोड़ रु. की इक्विटी में ह्रास हुई है। घ) 31.3.2009 को स्थित बीएससीएल की चालू सांविधिक देयताएँ मुक्त करने के लिए 25.43 करोड़ रु. के योजना कोष का प्रावधान इक्विटी के रूप में किया गया। 9.1 कंपनी की पूर्ववर्ती सहायक कंपनी भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि. (बीडब्ल्यूईएल) की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए उपायों पर भारत सरकार के अनुमोदन सं.6(7)/2005-पीई।।। दिनांक 03.07.2008 के पश्चात कंपनी के लेखे में परिणामिक प्रभाव नीचे दिये गये हैं: क. 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे में अनुमोदित उपायों को दिखाया गया है। ख. बीडब्ल्यूईएल का प्रशासनिक नियंत्रण अब रेल मंत्रालय को हस्तान्तरण हो जाने से एवं संगत औपचारिकताओं का पालन करते हुए कंपनी बीडब्ल्यूईएल में अपनी 1000 रु. प्रत्येक की 22389 इक्विटी शेयरों को रेल मंत्रालय को सौंप चुकी है।		

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ग. कंपनी ने भारत सरकार द्वारा यथाअनुमोदित 1000 रु. प्रत्येक के 90650 इक्विटी शेयरों के निरस्त हो जाने पर 906.50 लाख की 'निर्गत एवं अभिदत्त' शेयरों में कमी की है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत औपचारिकताओं का अनुपालन प्रक्रियाधीन है।		
9.2 आगे भारत सरकार के दिनांक 17.07.2009 अनुमोदन सं.6(7)/2005-पी.ई.।।। के अनुसरण में बीडब्ल्यूईएल को प्रदत्त 167.00 लाख रु. राशि की गैर-योजना ऋण के बट्टे खाते में डाल कर उपयुक्ततः समायोजित किया गया है।		
10. भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में समापन के अधीन कतिपय सहायक कंपनियों को कंपनी के जरिए दी गई भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज को लेखे में दिया गया है, जिसका कंपनी के प्रतिवेदित लाभ पर कोई प्रभाव नहीं है एवं 31 मार्च 2011 तक ऐसे सहायक कंपनियों के हिसाब करने पर ब्याज बीपीएमईएल (इसकी सहायक कंपनी डब्ल्यूआईएल सहित) के बारे में 31,518 लाख रु. की राशि के लिए सरकारी समापक के समक्ष दावा किया गया है।		
11. पूर्ववर्ती सहायक कंपनियां सहित सहायक कंपनियों के मार्गस्थ कोष, सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त विभिन्न सरकारी निधि को लेकर है।		
12. वर्ष के अन्त में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानक (ए.एस.)-22 के सदृश रखते हुए दूरदर्शी उपायों के तौर पर इस लेखे में मान्यता नहीं दी गई है।		
13. निदेशकों / पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक -		
वेतन एवं भत्ते	**30.31**	30.26
भविष्य निधि में अंशदान	**2.15**	1.80
(उपर्युक्त में एलआईसी में रखे अनुमोदित आनुतोषिक कोष के अंशदान एवं समग्र कंपनी पर आधारित बीमांकिक निर्धारित किया गया छुट्टी भुनान के प्रावधान को छोड़ कर है। आवास व्यवस्था हेतु वसूली नियुक्ति की शर्तों के अनुसार है एवं पूर्णकालिक निदेशकों को प्रति माह 325/- रु. के भुगतान पर कंपनी की मोटर गाड़ियों का प्रति माह 1000 कि.मी. तक निजी प्रयोग करने की अनुमति है)		
14. 31 मार्च, 2011 को जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में उद्धृत निवेशों का बाजार दर उपलब्ध नहीं है। फिर भी, बाजार में दिनांक 01.09.2005 को उपलब्ध नवीनतम दर 6.00 रु. प्रति शेयर था।		
15. वर्ष 2005-06 के दौरान अक्तूबर 2001 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया गया 82.72 लाख रुपये जेसप एण्ड कंपनी लि. को वापस किया गया था। कंपनी ने ब्याज एवं खर्चे के साथ राशि की वसूली के लिए मामला दायर की है। यह विषय आज की तारीख तक निपटारा हेतु लंबित है।		
16. कतिपय पार्टियों से शेष की पुष्टि की प्रतिक्षा है।		

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
17. संबंधित पार्टियों प्रकटीकरण (प्रबंधन द्वारा जैसे चिह्नित किया गया है एवं जहां लेनदेन वर्ष 2010-11 के दौरान विद्यमान है) (i) संबंधित पार्टी का संबंध क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक — श्री सैबाल बॉल, कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री स्वपन कुमार दास, निदेशक (वित्त) (ii) संबंधित पार्टियों से लेनदेन पूर्णकालिक निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।	उपरोक्त का पैरा 13 देखें	
18. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (यथाचिन्हित, कंपनी के यहाँ उपलब्ध जानकारी पर आधारित) के नाम जिससे कंपनी 1 लाख रु. की राशि से अधिक उधार का बकाया 45 दिनों (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अधीन मांगी गई) से ज्यादा रखी है - शून्य		
19. क) विक्रय में (अनुसूची-14) - 11 लाख रुपये (1.46 लाख रु.) की प्रदत्त सेवा शामिल है। ख) सेवा प्रभार में सहायक कंपनी (बीबीजे) से 20.94 लाख रु. (रु. शून्य) की सेवा प्रभार की अतिरिक्त राशि शामिल है। ग) भविष्यनिधि एवं एन्य निधियों के अंशदान में आनुतोषिक कोश के अंशदान शामिल है, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों की ज्यादा प्रावधान की शुद्ध 5.28 लाख रु. (रु. शून्य) की राशि है।		
20. पूर्वावधि समायोजन (जमा) पूर्ववर्ती वर्षों में सहायक कंपनी के लिए बनायी गयी 39.15 लाख रु. (रु. शून्य) की निगमित गारंटी का शुद्ध है।		

21. छुट्टी भुनान जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एक गैरकोषीय योजना है के बारे में 'कर्मचारी हित' की एएस-15 संशोधित के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरण है।

(i) नियोक्ता खर्च के अवयवों -

	(लाख रु. में)	
	31.3.2011 को स्थित	31.3.2010 को स्थित
चालू सेवा लागत	**3.00**	7.54
विगत सेवा लागत	**0.00**	0.00
ब्याज लागत	**2.42**	2.25
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**0.00**	0.00
संक्षेपण लागत	**0.00**	0.00
व्यवस्थापन लागत	**0.00**	0.00
वर्ष में अभिज्ञात बीमांकिक लाभ/हानि	**10.01**	1.98
लाभ/हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	**15.43**	11.77

(ii) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन -

वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**36.21**	31.70
अर्जन समायोजन	**0.00**	0.00
ब्याज लागत	**2.42**	2.25
विगत सेवा लागत	**0.00**	0.00
चालू सेवा लागत	**3.00**	7.54
संक्षेपण लागत	**0.00**	0.00
व्यवस्थापन लागत	**0.00**	0.00
प्रदत्त लाभ	**11.89**	7.26
दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	**10.01**	1.98
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**39.75**	36.21
वर्ष के अंत में समापन निधि / प्रावधान	**39.75**	36.21

(iii) बीमांकिक पूर्वधारणा -

	31.3.2011 को स्थित	31.3.2010 को स्थित
छूट दर	**8.0**	8.0
मुद्रास्फिति दर	**5.0**	5.0
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	**0.00**	0.00
अवशेष कार्यशील जीवन	**9**	10
प्रयुक्त फार्मूला	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

22. विदेशी मुद्रा में खर्च (लाख रु.में)

मदें	2010-2011	2009-2010
यात्रा	-	5.68
अन्य	-	0.34
कुल	-	6.02

23. विदेशी मुद्रा में आय (लाख रु.में)

	2010-2011	2009-2010
निर्यात - बिक्री / सेवाएं (एफओबी)	11.25	0.34
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	11.25	0.34

24. निदेशकों / अधिकारियों से शेष बकाया (लाख रु.में)

	2010-2011	2009-2010
वर्ष के अन्त में	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान सर्वाधिक	शून्य	शून्य

25. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसूची 6 के भाग ।। के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसरण में अतिरिक्त सूचनाएँ-

क) क्रय के संबंध में ब्यौरा -

मदें	इकाई	परिमाण		मूल्य (लाख रु.)	
		2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10
कैसनब बोगी हेतु स्पेयर्स (सीलडब्ल्यू)	संख्या	**शून्य**	शून्य	**6.66**	39.81
कुल	संख्या	**शून्य**	शून्य	**6.66**	39.81

ख) बिक्री के संबंध में ब्यौरा -

मदें	इकाई	परिमाण		मूल्य (लाख रु.)	
		2010-09	2009-10	**2010-11**	2009-10
कैसनब बोगी हेतु स्पेयर्स (सीएलडब्ल्यू)	संख्या	**शून्य**	शून्य	**8.14**	41.55
कुल	संख्या	**शून्य**	शून्य	**8.14**	41.55

26. **(क) कोष्ठकों के आंकड़े विगत वर्ष के द्योतक हैं।**

(ख) जहाँ कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

अनुसूची 1 से 21 के हस्ताक्षर
उसी तारीख को हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई
(सी.ए, आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015029
स्थानः कोलकाता
तारीखः 26.08.2011

निदेशक मंडल की ओर से

(सैबाल बॉल)
कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एस.के. दास)
निदेशक (वित्त)

(एस.एन. मुखर्जी)
कंपनी सचिव

अनुसूची - 22

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. लेखांकन परिपाटी -

1. कम्पनी सामान्यतः प्रोद्भवन आधार पर पारम्परिक ऐतिहासिक लागत की लेखांकन अनुसरण करती है एवं किसी अन्य रूप में बताया गया हो तो छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर आय एवं व्यय की महत्वपूर्ण मदों को स्वीकार करती है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों, लागू लेखा मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप लेखा तैयार किया गया है।

3. कंपनी द्वारा सुसंगत रूप से लेखांकन नीति क्रियान्वित की गई है एवं विगत वर्ष के अनुरूप है।

ख. राजस्व स्वीकरण -

1.1 ग्राहक के पक्ष में / या करारों की समाप्ति एवं / या सेवाएँ प्रदान करने एवं शुद्ध प्राप्तियों, छूट आदि पर स्थानान्तरित होनेवाली स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इनामों पर आधारित बिक्री के रूप में राजस्व की पहचान की जाती है।

1.2 लेखा मानकों (ले मा) - 7 के अनुपालन में निर्माण ठेकों से होनेवाले राजस्व को मान्यता दी गई है।

2. प्रचालन करने वाली सहायक कंपनियों से कंपनी द्वारा की गई 70 प्रतिशत उत्तरदायी खर्च निकालकर वर्ष 2009-10 हेतु हस्ताक्षरित एवं अनुमोदित समझौता ज्ञापन (सं.ज्ञा.) के मुताबिक उनके कारोबार पर आधारित सेवा प्रभार की वसूली की जाती है।

3. सहायक कंपनियों के लिए अनिकाषित सरकारी कोष (इक्विटी) पर उपचित ब्याज सीधे संबंधित सहायक कंपनियों को दे दी जाती है।

4. लाभांश हासिल हो जाने पर आय के तौर पर माना जाता है।

5. सभी निश्चित दावे को राजस्व के तौर पर स्वीकार किया जाता है।

ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ -

1. स्थायी परिसम्पत्तियाँ अर्जन की लागत, कर, ड्यूटी, आदि एवं तत्पश्चात् उनके सुधार समेत संबंधित खर्चे को बताया जाता है। निर्माण/ संस्थापन अवधि के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए वित्त जुटाने के लिए उधार पर ब्याज खर्च का पूंजीकरण किया जाता है।

2. मूल्य का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XVI के अनुरूप दरों पर ह्रासित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। वर्ष के दौरान 100% मूल्यह्रास दर लागू होने वाले मदों को छोड़कर, जोड़े/छोड़े गए परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का जोड़ने/घटाने के माह के संदर्भ में यथानुपात आधार पर प्रावधान किया गया है।

घ. निवेश -

सहायक कंपनियों एवं अन्य पूर्ववर्ती कंपनियों में दीर्घकालीन निवेशों का मूल्य लागत पर तय किया जाता है।

ङ. विदेशी मुद्रा में सौदा -

तुलन-पत्र की तारीख पर बकाया विदेशी मुद्रा तुलन-पत्र की तारीख पर सौदे में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है एवं वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा शेष का वर्षान्त दरों पर सौदा किया जाता है एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के अर्जन से संबंधित जो ले जानेवाली राशि में समायोजित किया जाता है को छोड़कर उससे निकला हुआ, यदि कुछ हो तो, सौदे के पारिणामिक अंतर लाभ और हानि लेखे में रखा जाता है।

च. मालसूची का मूल्यांकन कम लागत एवं शुद्ध उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है। पूरा होने के विभिन्न चरणों पर प्रगतिधीन कार्य/प्रगतिधीन ठेके का निश्चयन प्रमुख लागत अथवा तैयार स्टाक के अधीन जिसमें, परिवर्तन लागत एवं सामान्यतः व्यापार में उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति पर ले आने के लिए खर्च होते हैं, भी शामिल है।

छ. सेवा-निवृत्ति सुविधाएँ -

1. कंपनी ने अपनी कर्मचारियों को कंपनी की अनुतोषिक योजना के अन्तर्गत देय आनुतोषिक मद में भारतीय जीवन बीमा

निगम (भा.जी.बी.नि.) के साथ 'समूह आनुतोषिक-सह-लाइफ एश्योरेंश पालिसी' द्वारा अपनी देयता का आच्छादन किया है। वर्ष की आनुतोषिक देयता और उपचित देयता के बारे में भा.जी.बी.नि. का मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है एवं अपने मूल संगठन में धारणाधिकार बरकरार रखने वाले कर्मचारियों, यदि कोई है, को छोड़कर, लाभ और हानि लेखे में उपयुक्ततः डाला गया है। इनके मामले में संबंधित मूल संगठनों के सलाह के अनुसार देयताओं का प्रबंध किया जाता है।

2. वर्ष के अंत में कर्मचारियों द्वारा अव्यवहृत छुट्टियों के लिए छुट्टी भुनान दिखायी गयी यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार स्वतंत्र जीवनांकिक मूल्यांकन एवं लेखा मानकों [(ले.मा. - 15 (संशोधित)] पर आधारित दी जाती है।

3. सभी कर्मचारियों के संबंध में सरकार भविष्य (क्षे.भ.नि.आ.) में भविष्य निधि अंशदान किया जाता है, जिसमें इन अंशदानों के अलावा कंपनी का कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। इन अंशदानों को लाभ और हानि लेखा में, जैसा भी होता है प्रभारित किया जाता है।

4. ले. मा 15 (संशोधित 2005) सेवा समाप्ति लाभ स्थगन हेतु प्रावधान करता है। तदनुसार, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन भुगतान की गई क्षतिपूर्ति को आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुरूप प्रावधानों के मुताबिक पांच वर्षों से अधिक अवधि वाले का परिशोधन कर दी गयी है।

ज. लेखांकन नीतियों में पूर्वावधि एवं असामान्य मदों एवं विभिन्नताओं, जिसका कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, को उद्‌घाटित किया गया है।

झ. क्षति पहुँचाने वाली परिसंपत्तियाँ का प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर पुनरीक्षा की जाती है एवं जब भी कोई परिसम्पत्ति की राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है उसे स्वीकरण किया जाता है।

ञ. वर्तमान एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान -

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार चालू कर का प्रावधान किया जाता है। वर्ष के लिए खाता एवं कर योग्य लाभ के बीच समयांतर के परिणाम स्वरूप आस्थगित कर का निर्धारण बनाये गये कर की दरों एवं नियमों पर आधारित है या तुलन पत्र की तारीख पर पर्याप्त रूप से बनायी गयी है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान एवं आगे ले जाना मात्र वहीं होता है जहां भविष्य में परिसंपत्तियों का समायोजन विवेचित रूप से निश्चित है।

ट. प्रावधान/आकस्मिक देयताएँ एवं आक्स्मिक परिसम्पत्तियाँ -

विगत घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान बाध्यताएं विद्यमान रहने से प्रावधान में शामिल प्रचुर मात्रा में अनुमान की पहचान की गई है एवं इससे सम्भावित संशाधनों का बहिर्गमन होगा। आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की गई है परन्तु लेखे की द्रष्टव्यों में बताया गया है। आकस्मिक परिसम्पत्तियां वित्तीय विवरणों में न तो पहचान किया जाता है और न बताया जाता है।

ठ. सरकारी पार्टियां / लोक उद्यमों / रेलवे से बकाये चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो सामान्यतः उगाही योग्य माना गया है।

ड. तुलन-पत्र की तिथि के बाद घटनेवाली महत्वपूर्ण घटनाओं की सुनवाई की गयी है।

निदेशक मंडल की ओर से

उसी तारीख को हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

(सैबाल बॉल)
कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एस.के. दास)
निदेशक (वित्त)

(एस.एन. मुखर्जी)
कंपनी सचिव

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई
(सी.ए, आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015029
स्थानः कोलकाता
तारीखः 26.08.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपये लाखों में)

विवरण	2010-2011		2009-2010	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
i. कर पश्चात् शुद्ध लाभ / (हानि)		**1.70**		40.48
समायोजन -				
मूल्यह्रास	**2.24**		2.66	
अन्य आय (लाभांश सहित)	**(126.01)**		(109.17)	
ब्याज व्यय	**44.00**		13,223.34	
ब्याज प्राप्य	**(44.00)**	**(123.07)**	(13,223.34)	(106.51)
		(122.07)		(66.03)
ii. कार्यशील पूंजी के बदलाव के पूर्व प्रचालन लाभ				
समायोजन -				
विविध देनदारों (सकल)	**(464.81)**		(40.27)	
मालसूची	**(65.73)**		(26.68)	
ऋण एवं अग्रिम	**141,463.09**		(14,024.77)	
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	**363.33**		57.54	
देयताएं एवं प्रावधान	**(5,.818.46)**		(649.69)	
		135,477.42)		(14,683.87)
प्रचालन क्रियाकलापों में शुद्ध नकद		**135.355.35**		(14,749.90)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
अन्य आय (लाभांश सहित)	**126.01**		109.17	
सहायिकाओं एवं अन्य में निवेश का विमोचन/बिक्रय/कटौती एवं हस्तांतरण	**14,936.76**		(379.93)	
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय (समायोजन का शुद्ध)	**(0.51)**		(2.31)	
क्रियाकलापों से शुद्ध नकद		**15,062.26**		(273.07)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह				
भा.स. के अनुमोदन से शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित) एवं पुनर्संरचना शेयर जमा में वृद्धि/(कमी)	**(31,979.06)**		(119.78)	
सहायता अनुदान में कटौती	**(0.00)**		(0.19)	
भारत सरकार की ऋण की प्राप्ति एवं ऋण पर ब्याज का प्रोद्भवन	**(120,381.31)**		14,337.18	
ब्याज प्राप्य	**44.00**		13,223.34	
ब्याज व्यय	**(44.00)**		(13,223.34)	
लाभांश चुकता (कर सहित)	**0.00**		(5.85)	
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद		**(152,360.37)**		14,211.36
घ. नकद एवं नकद तुल्य में शुद्ध वृद्धि / (ह्रास)		**(1,942.76)**		(811.61)
अवधि की शुरुआत में नकद एवं नकद तुल्य		**3,515.65**		4,327.26
अवधि की अंत में नकद एवं नकद तुल्य		**1,572.89**		3,515.65
नकद एवं बैंक शेष अनुसूची-9 द्वारा दिखाया गया है				
नकद हस्तगत		**0.10**		0.12
ड्राफ्ट/चेक हस्तगत		**126.11**		0.00
बैंक शेष-				
अनुसूचित बैंकों के चालू खाते में		**115.04**		87.04
अनुसूचित बैंकों के जमा खाते में		**1,331.24**		3,428.49
		1,572.89		3,515.65

उसी तारीख को हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

(सैबाल बॉल)
कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई
(सी.ए, आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015029
स्थानः कोलकाता
तारीखः 26.08.2011

(एस.के. दास)
निदेशक (वित्त)

(एस.एन. मुखर्जी)
कंपनी सचिव

तुलन-पत्र सार एवं कंपनी की सामान्य कारोबार की रूपरेखा

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग iv की शर्तानुसार प्रस्तुत)

I.	**पंजीकरण ब्यौरा -**					
	पंजीकरण संख्या	:	यू28112डब्ल्यूबी1986पीटीसी41286	राज्य कोड	:	21
	तुलन-पत्र तारीख	:	31 मार्च, 2011			
II.	**वर्ष के दौरान एकत्रित पूंजी (राशि हजार रु. में) -**					
	आम निर्गम	:	शून्य	राइट निर्गम	:	शून्य
	बोनस निर्गम	:	शून्य	निजी स्थापन	:	शून्य
III.	**निधि के गतिशीलन एवं तैनाती की स्थिति (राशि हजार रु. में) -**					
	कुल देयताएँ	:	57,33,058	कुल परिसंपत्तियाँ	:	57,33,058
	निधि के स्त्रोत-					
	चुकता पूंजी	:	10,37,305	आरक्षित एवं अधिशेष	:	7,479
	शेयर जमा	:	32,501			
	पुनर्गठन शेयर जमा	:	1,38,800	अप्रतिभूत ऋण	:	42,48,429
	निधि के उपयोग-					
	शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियां	:	638	निवेश	:	5,11,301
	शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियां	:	49,52,575	विविध खर्च	:	0
	संचित हानि	:	0			
IV.	**कम्पनी का कार्यनिष्पादन (राशि हजार रु. में) :**					
	कारोबार एवं अन्य आय	:	1,32,135	कुल खर्च	:	1,31,964
	कर पूर्व लाभ / (हानि)	:	171	कर पश्चात् लाभ/(हानि)	:	170
	प्रति शेयर आय रु. में	:	0.11	लाभांश दर प्रतिशत	:	0.000

V. कम्पनी की प्रमुख उत्पादों / सेवाओं का सामान्य नाम :
(मौद्रिक शर्तानुसार)

मद कोड संख्या (आई.टी.सी.कोड): # लागू नहीं
उत्पाद विवरण : सेवा
मद कोड संख्या (आई.टी.सी.कोड): 860699.00
उत्पाद विवरण : वैगन्स (अन्य)

'सेवा' का कोई मद कोड नहीं दिया गया है

उसी तारीख को हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

कृते डी.एन. मुखर्जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301145ई
(सी.ए, आर. पी. मुखर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015029
स्थानः कोलकाता
तारीखः 26.08.2011

निदेशक मंडल की ओर से

(सैबाल बॉल)
कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(एस.के. दास)
निदेशक (वित्त)

(एस.एन. मुखर्जी)
कंपनी सचिव

31 मार्च 2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1) (ङ) के अनुसरण में विवरण

सहायक कंपनियाँ	शेयरों की कुल चुकता मूल्य (लाख रु. में)	कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	कर पश्चात् वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (लाख रु. में)	संचित लाभ / (हानि) (लाख रु. में)
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	2,026.50	20,26,500	359.57	519.86

द्रष्टव्यः

(क) 1) कंपनी 31.3.2011 को उपर्युक्त सहायक कंपनी की समस्त अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी धारण करती है।

2) कंपनी के लेखा में सहायक कंपनी की लाभ / हानियों का कोई अंश नहीं दी गयी है।

(ख) कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स (बीपीएमईएल) में 1000/- की 48,630 इक्विटी शेयर (समस्त चुकता पूंजी) धारण करती है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 27.07.2004 को कंपनी को बंद करने का आदेश दे दिया एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय (स.प.) से संबंद्ध सरकारी परिसमापकों ने बीपीएमईएल की परिसंपत्तियों का कब्जा ले लिया है। बीपीएमईएल का 31.03.2004 तक संचयी हानि 43477.57 लाख रु. थी।

(ग) बीपीएमईएल, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) में 10/- की 261893 इक्विटी शेयर (समस्त चुकता पूंजी) धारण करती है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 08.04.2003 को डब्ल्यूआईएल को बंद करने का आदेश दे दिया एवं स.प. ने डब्ल्यूआईएल की परिसंपत्तियों का कब्जा ले लिया है। डब्ल्यूआईएल का 31.03.2003 तक संचयी हानि 6916.51 लाख रु. (लेखापरीक्षा के साथ) थी।

निदेशक मंडल की ओर से

(**सैबाल बॉल**)
कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(**एस.के. दास**)
निदेशक (वित्त)

(**एस.एन. मुखर्जी**)
कंपनी सचिव

तारीखः 15 सितंबर, 2011